

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)  
(Constituted under I.M.C.C. Act, 1970)


वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा  
(1993-94)  
**Annual Report and Audited Accounts**  
(1993-94)




भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नया दिल्ली  
110 054  
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नया दिल्ली  
110 054

## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्


### अध्यक्ष



### निबन्धक एवं सचिव



## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058

### वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक साविधिक निकाय है। प्रथम परिषद् का गठन 1971 में किया गया था। भारत के असाधारण राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड II दिनांक 7-5-84 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा परिषद् का पुर्नगठन 1984 में किया गया था।

केन्द्रीय परिषद् के प्रमुख प्रयोजन निम्न हैं :-

- (I) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- (II) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- (III) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- (IV) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को, विनियमित करना और भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के आचारण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर, जिनमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित हैं, का अनुसरण कर रहे हैं।

## परिषद् की संरचना

केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं।

### आयुर्वेद

1. डा० डी राधाकृष्ण मूर्ति
2. डा० पी० वी० शतकोपाचार्य
3. डा० सुकुमार भट्टाचारजी
4. डा० देवव्रत नारायण सिंह
5. डा० महेश्वर पाण्डे
6. डा० इन्द्रमोहन झा
7. डा० अलख नारायण सिंह
8. डा० जनार्दन एन० दवे
9. डा० दिनेश आर० पटेल
10. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डा० गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होशमठ
15. डा० ए० सी० राहुल कुमार
16. डा० के० माधवन नायर
17. वैद्य पं० महेश दत्त शर्मा शास्त्री
18. डा० प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस० जोशी
20. डा० एस० आई० नागराल
21. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
22. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
23. वैद्य उदयशंकर शर्मा
24. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
25. डा० व्ही० नारायण स्वामी
26. डा० रामप्रकाश गुप्ता
27. डा० हुकम चन्द्र शर्मा
28. डा० प्रेमदत्त शर्मा
29. डा० आनन्द राय
30. वैद्य के० के० पाण्डे
31. डा० कनकसिंह खीमा भाई झाला
32. वैद्य श्यामलाल वशिष्ठ शास्त्री
33. डा० एल० छिवकाराजना
34. डा० एस० वी० सावदी
35. डा० सच्चिदानन्द उपाध्याय
36. डा० ए० के० दुलानी
37. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छागाणी
38. वैद्य राधाकृष्ण श्रीधर वारे
39. वैद्य शिवकुमार मिश्र
40. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
41. डा० पी० के० देवनाथ
42. प्रो० आर० सी० चतुर्वेदी
43. वैद्य हरिनारायण स्वामी
44. प्रो० वी० जे० ठक्कर
45. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
46. डा० एस० टी० गूजर
47. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
48. कविराज नानक चन्द शर्मा
49. वैद्य के० एस० वारियर
50. डा० बी० ए० हीरेमठ
51. डा० डी० एल० नारायण
52. वैद्य चन्द्रशेखर गौड़
53. डा० पी० सी० भट्टाचार्य
54. डा० एस० पी० गुप्ता

### सिद्ध

55. डा० जी० अन्ना स्वामी
56. डा० के० पलानीचामी

### यूनानी

57. हकीम मो० अशरफ करीम
58. डा० मदन सरूप गुप्ता
59. हकीम मोहम्मद उमर
60. डा० धर्म चन्द
61. डा० दौलतराम भराज

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 62. डा० बन्सीलाल पण्डित           | 69. हकीम मो० अहमद लारी    |
| 63. डा० अब्दुरहमान                | 70. डा० सैयद शाजी हैदर    |
| 64. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह | 71. प्रो० हकीम मो० तैय्यब |
| 65. हकीम अब्दुल मोविन खान         | 72. हकीम अब्दुल हमीद      |
| 66. हकीम वेदप्रकाश शर्मा          | 73. हकीम फैजान अहमद       |
| 67. हकीम मो० इकबाल खान            | 74. हकीम फैयाज आलम        |
| 68. डा० एम० टी० खान               | 75. डा० जे० डी० सन्दरवाले |

### पदाधिकारी

परिषद् के निम्न पदाधिकारी हैं :-

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह      | - अध्यक्ष                         |
| 2. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छागाणी      | - उपाध्यक्ष, आयुर्वेद             |
| 3. हकीम मो० अहमद लारी                 | - उपाध्यक्ष यूनानी                |
| 4. डा० एस० आई० नागराल                 | - सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद) |
| 5. प्रो० हकीम मो० तैय्यब              | - सभापति, शिक्षा समिति (यूनानी)   |
| 6. डा० प्रसन्न कुमार जैन              | - सभापति, पंजीयन समिति            |
| 7. वैद्य पं० महेश दत्त शर्मा शास्त्री | - सभापति, विनियम समिति            |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं।

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देशों जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् देती है। प्रत्येक समिति आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

विभिन्न कार्यों को करने के लिए केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया।

### कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् सामान्य विनियम 1976 की संख्या 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी तीनों पद्धतियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- |        |                                  |                       |
|--------|----------------------------------|-----------------------|
| सभापति | 1. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह | - अध्यक्ष             |
| सदस्य  | 2. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छागाणी | - उपाध्यक्ष, आयुर्वेद |
|        | 3. हकीम मो० अहमद लारी            | - उपाध्यक्ष, यूनानी   |
|        | 4. डा० एस० टी० गूजर              |                       |
|        | 5. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी     |                       |
|        | 6. डा० रामप्रकाश गुप्ता          |                       |
|        | 7. डा० कै० माधवन नायर            |                       |
|        | 8. प्रो० हकीम मो० तैय्यब         |                       |
|        | 9. हकीम वेदप्रकाश शर्मा          |                       |
|        | 10. डा० कै० पलानीचामी            |                       |

### विनियम समिति

समय-समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विहित विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- |        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| सभापति | 1. वैद्य पं० महेश दत्त शर्मा शास्त्री |
| सदस्य  | 2. वैद्य हरिनारायण स्वामी             |
|        | 3. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा              |
|        | 4. डा० पंचैया होसमठ                   |
|        | 5. डा० जनार्दन एन० दवे                |
|        | 6. डा० पी० वी० शतकोपाचार्य            |
|        | 7. डा० महेश्वर पाण्डे                 |

8. डा० गुलशन राय शर्मा
9. डा० डी राधाकृष्ण मूर्ति
10. डा० जे० डी० सन्दरवाले
11. डा० बन्सीलाल पण्डित
12. डा० अब्दुरहमान
13. डा० धर्मचन्द्र

### पंजीयन समिति

परिषद् के विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में उनका समावेश करने सम्बन्धी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशांसाए करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया। पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- |        |                            |
|--------|----------------------------|
| सभापति | 1. डा० प्रसन्न कुमार जैन   |
| सदस्य  | 2. प्रो० आर० सी० चतुर्वेदी |
|        | 3. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा  |
|        | 4. वैद्य हरिकृष्ण एस० जोशी |
|        | 5. डा० पी० के० देवनाथ      |
|        | 6. डा० प्रेमदत्त शर्मा     |
|        | 7. डा० ए० सी० राहुल कुमार  |
|        | 8. डा० दिनेश आर० पटेल      |
|        | 9. डा० बी० ए० हीरेमठ       |
|        | 10. डा० रामप्रकाश गुप्ता   |
|        | 11. डा० इन्द्रमोहन झा      |
|        | 12. डा० मदन सरूप गुप्ता    |
|        | 13. डा० एम० टी० खान        |
|        | 14. डा० मोहम्मद उमर        |
|        | 15. डा० दौलतराम भराज       |
|        | 16. हकीम फैजान अहमद        |

### शिक्षा समितियां (आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी)

शिक्षा समितियां आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी की शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं। आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी शिक्षा समितियों के निम्न सदस्य हैं :-

### आयुर्वेद:

- |        |                                   |                      |
|--------|-----------------------------------|----------------------|
| सभापति | 1. डा० एस० आई० नागराल             |                      |
| सदस्य  | 2. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छागाणी  | (उपाध्यक्ष आयुर्वेद) |
|        | 3. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा |                      |
|        | 4. कविराज नानक चन्द शर्मा         |                      |
|        | 5. डा० रामप्रकाश गुप्ता           |                      |
|        | 6. डा० आनन्द राय                  |                      |
|        | 7. डा० सत्य पाल गुप्ता            |                      |
|        | 8. डा० हुकम चन्द्र शर्मा          |                      |
|        | 9. वैद्य शिवकुमार मिश्र           |                      |
|        | 10. वैद्य जगन्नाथ मिश्र           |                      |
|        | 11. प्रो० प्रियव्रत शर्मा         |                      |
|        | 12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त    |                      |
|        | 13. डा० व्ही० नारायण स्वामी       |                      |

### सिद्ध

- |       |                         |
|-------|-------------------------|
| सदस्य | 1. डा० के० पलानीचामी    |
|       | 2. डा० जी० अन्ना स्वामी |

### यूनानी

- |        |  |
|--------|--|
| सभापति | 1. प्रो० हकीम मो० तैय्यब                 |
| सदस्य  | 2. हकीम मो० अहमद लारी (उपाध्यक्ष यूनानी) |
|        | 3. डा० सैयद शाजी हैदर                    |
|        | 4. हकीम मो० अशरफ करीम                    |
|        | 5. हकीम अब्दुल मोबिन खान                 |
|        | 6. हकीम अब्दुल हमीद                      |
|        | 7. हकीम फैयाज आलम                        |
|        | 8. हकीम मो० इकबाल खान                    |
|        | 9. डा० मदन सरूप गुप्ता                   |

वर्ष 1993-94 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गईं :

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् | एक |
| 2. आयुर्वेद समिति                   | एक |
| 3. सिद्ध समिति                      | एक |
| 4. यूनानी समिति                     | एक |

- |  |     |
|--|-----|
| 5. कार्यकारिणी समिति   | तीन |
| 6. शिक्षा समिति (आयुर्वेद)   | एक  |
| 7. शिक्षा समिति (यूनानी)   | एक  |
| 8. शिक्षा समिति (सिद्ध)  | एक  |
| 9. शिक्षा समिति (आयु./सिद्ध/यूनानी) की संयुक्त बैठक  | एक  |
| 10. विभागीय पदोन्नति समिति   | एक  |
| 11. समस्त राज्यों के स्वास्थ्य सचिव भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशक, पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्रों के राज्य मंडलों/परिषदों के अध्यक्ष/सभापति और पंजीयक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी एवं सम्बन्धित राज्यों के सदस्यों की आंचलिक बैठक । | दो  |

केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में फरवरी, 1994 में सम्पन्न हुई।

केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष के दौरान सम्पन्न विभिन्न समितियों के कार्यवृत्तों को दृढ़ किया।

### केन्द्रीय परिषद् ने निम्न अनुशंसाएं की :-

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्रांक वी0 26017/2/93-ए0 ई0 दिनांक 28-4-93 के द्वारा सूचित किया है कि राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की हाल ही में सम्पन्न बैठक में यह विचार था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं न्यूनतम स्तरों का पुनरावलोकन आवश्यक है। पाठ्यक्रम पाठ्यविधि और सुविधाएं इस तरह से होनी चाहिए कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासी भविष्य में अपने कार्य में बाह्य रोगी को सक्षम और मैत्रिक निदान और अत्यल्प रोगियों को परामर्श दे सकें। भारतीय चिकित्सा पद्धति के शल्य और मध्य प्रक्रिया अथवा आपात में भारतीय चिकित्सा पद्धति के हेतु बहुत कम मांग प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों में बाह्य विभाग प्रयोगशाला और भैषज्य कार्य के लिए सुविधाओं में वृद्धि के पक्ष में यह विशेष रूप से आवश्यक है कि अस्पताल में वर्तमान छात्र शय्या अनुपात पर जोर कम दिया जाए। औषधीय पौधों का समग्र ज्ञान भी बहुत आवश्यक है, इसलिए सही योजनाबद्ध बाह्य विभाग सुसज्जित प्रयोगशालाएं, भैषज्यशाला, वनोपधि उद्यान, सुसज्जित कक्षाएं सम्भवतः अस्पताल की शय्याओं से कहीं अधिक संगत हैं। यह दोहराना आवश्यक नहीं है कि सूत्रीकरण अथवा अधिक यथार्थवादी स्तर भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के लिए संशोधित न्यूनतम स्तरों तक पहुंचने में सहायक होंगे। यह भी अनुरोध किया गया कि सारे प्रश्नों पर शीघ्र विचार किया जाए।

उपर्युक्त के विचार में केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी)

सालों और संलग्न अस्पतालों के लिए समय न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं का स्वीकार किया और उन्हें अन्तिम रूप दिया।

### आयुर्वेद

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली अपने पत्रांक वी0 26015/1/92-ए0 ई0 दिनांक 5-7-93 द्वारा भारतीय चिकित्सा विषय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम स्तर) संशोधन विनियम 1989 में संशोधन हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970, (1970 का 48) धारा 36 के खण्ड 'झ' और 'अ' के अधीन स्वीकृति प्रदान की है।

निम्न खण्ड को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम स्तर) संशोधन विनियम 1989 के शिक्षक वर्ग के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव शीर्षक के अधीन खण्ड 14 के अन्त में समाविष्ट किया जाएगा। "प्राध्यापक पद के लिए विहित अर्हता एवं अनुभव को प्राचार्य पद के लिए अनिवार्य समझा जाय।"

आयुर्वेद परीक्षाओं में परीक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित इस खण्ड को उपर्युक्त विनियम के अन्त में नए खण्ड संख्या 15 के रूप में सम्मिलित किया जाय। "सम्बन्धित विषय में 5 वर्ष के अनुभव वाले अनुमोदित शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी परीक्षक के लिए पात्र न समझा जाये।"

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम स्तर) संशोधन विनियम, 1989 के खण्ड (8.1) (के उपखण्ड के द्वितीय पैरा को निम्न रूप में संशोधित किया जाय :-

"प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में एक या अधिक विषयों में असफल छात्रों को द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में बैठने की अनुमति दी जाये। केवल समस्त विषय में उत्तीर्णों को ही तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय।"

केन्द्रीय परिषद् ने यह अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम स्तर) संशोधन विनियम, 1989 के अन्तर्गत 10+2 विज्ञान पाठ्यक्रम सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा विज्ञान सहित एवं तत्समकक्ष अर्हता प्रवेशार्हता के रूप में मान्य की गई है। उक्त अर्हताओं में प्रस्तावित राजस्थान अजमेर द्वारा संचालित वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा विज्ञान विषय सहित को भी मान्य किया।

यह अंकित किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पारित प्रस्ताव के रूप आनुवंशिकी विषय को प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान में सम्मिलित कर दिया गया है किन्तु के लिए परीक्षा के अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। साथ ही पाठ्यक्रम के पृष्ठ

निर्धारण में सम्मिलित नहीं होने के कारण इसके अधिकृत होने का प्रश्न शक्यास्पद रह गया है।

आनुवंशिकी व्याख्याता के लिए योग्यता के रूप में एम० एस० सी० जीव विज्ञान/प्राणि विज्ञान की योग्यता पारित कर दी गई है। किन्तु अभी तक प्रचलित नहीं होने के कारण उक्त विषय के अध्यापन हेतु व्याख्याता की नियुक्ति नहीं हो सकी। अतः यह निर्णय लिंक गया कि इस विषय के लिए अंक और व्याख्याता की योग्यता निर्धारण कर अविलम्ब प्रचालित किया जाए।

केन्द्रीय परिषद् ने पारित किया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ को स्नातकीय महाविद्यालय की स्थापना, जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की पूर्व शर्त है, के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

केन्द्रीय परिषद् ने समाचार पत्रों में प्रकाशित और संसदीय समिति में दिए गए माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री वी० शंकरानंद के उस बयान की कि केन्द्रीय सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति का अलग से निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, को अंकित किया और उसका स्वागत किया और यह भी मांग की कि शीघ्र ही इसे कार्यान्वयन में परिणत किया जावे। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित किया जावे ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धति का समुचित विकास हो सके और अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सिद्ध कर सके।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विदेशी व्यावसायियों के लिए आयुर्वेद में प्रमाण पत्र/पदव्युत्तर पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विनियमों का प्रारूप भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 22(2) के प्रावधान के अधीन समस्त राज्य सरकारों के स्वास्थ्य सचिवों को तीन माह के भीतर अभिमत, यदि कोई हो, भेजने के लिए परिचालित किए गए थे।

इसके उत्तर में निदेशक भारतीय चिकित्सा एवं हौम्योपैथी, उड़ीसा ने रसशास्त्र, भेषजकल्पना और स्वस्थवृत्त का पाठ्य विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजने से पूर्व प्रारूप विनियम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु भेजा। केन्द्रीय परिषद् ने प्रस्तावित प्रारूप विनियमों में सम्मिलित करने के लिए इन्हे स्वीकार कर लिया।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण में निम्न अनिवार्य औषधियों को सम्मिलित करने हेतु आयुर्वेद समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया:-

1. एण्टी बायोटिक 2. सल्फा ड्रग्स 3. हार्मोन्स 4. विटामिन 5. एनलजेसिक 6. हाइपोटिव्स 7. ट्रैकव्लाइजर 8. वैक्सीन सीरप 9. एण्टीसैप्टिक 10. डिसइन्फैक्टेंटस 11. एण्टी हिस्टैमिनस 12. एन्थैटिक एजेण्टस (स्थानीय एवं सामान्य) 13. मारफीन 14. एट्रोपीन 15. पैथीडीन हाइड्रोक्लोराइड।

केन्द्रीय परिषद् ने निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों में सीटों के वृद्धि के लिए निदेशक

आयुर्वेद, महाविद्यालय को अनुमति नहीं किया :-

1. सिद्ध कला आयुर्वेद महाविद्यालय, नेहरु चौक, संगमनेर।
2. समस्त सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर।
3. समस्त एनुकोशन सोसाइटी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, कोल्हापुर।
4. हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, वडगांव, कोल्हापुर।
5. पञ्चकन आयुर्वेद महाविद्यालय, डाक० कीडोली।

केन्द्रीय परिषद् ने सेठ गोविन्द जी राव जी आयुर्वेद महाविद्यालय, शोलापुर को केवल शालाक्य तंत्र विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति इस शर्त पर दी कि स्नातकोत्तर छात्रों की अधिकतम प्रवेश संख्या दो होगी। स्नातकोत्तर विभाग के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शैक्षिक पदों को एक वर्ष के भीतर भरा जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे में न्यूनतम शिक्षण स्तर और उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण के निर्धारण के पश्चात् शालाक्य तंत्र, इन्द्रगुण शरीररचना और अगदतंत्र विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने और चालू सत्र 1993-94 के लिए प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी कि प्रत्येक विभाग में दो से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और महाविद्यालय के परिदर्शन के दौरान परिदर्शकों द्वारा इंगित कमियों को पूरा किया जाएगा।

आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन, बम्बई को संहिता और द्रव्यगुण विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने और चालू सत्र 1993-94 के लिए प्रवेश देने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में दो से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और महाविद्यालय के परिदर्शन के दौरान परिदर्शकों द्वारा इंगित कमियों को पूरा किया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद की स्नातकीय शिक्षा से सम्बन्धित विनियमों के अधीन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के अनुरूप आयुर्वेद में स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के आकलन के पश्चात् आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, सीवान को इस शर्त पर वर्ष 1993-94 में प्रवेश करने की अनुमति दी कि परिदर्शन समिति के द्वारा इंगित कमियों को पूरा करेंगे।

केन्द्रीय परिषद् ने ए० एल० एन० राव मैमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय, कोप्पा को जारी रखने की आगे अनुमति के लिए इस शैक्षिक वर्ष के अन्त तक परिदर्शकों द्वारा इंगित कमियों को पूरा करने और इस परिषद् को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

श्री विवेकानन्द नर्सिंग होम, श्री शिवाजी नगर, राहुरी को शैक्षिक वर्ष 1993-94 तक आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति इस शर्त पर दी कि कमियों को पूरा किया जाए और केन्द्रीय परिषद् को 6 माह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

केन्द्रीय परिषद् ने परिदर्शकों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र आरोग्य मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, हडपसर को सत्र 1993-94 के लिए केवल इस शर्त पर अनुमति देने का निर्णय लिया कि एक वर्ष के भीतर कमियों को पूरा किया जाए और अगले शैक्षिक वर्ष में आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम जारी प्रस्तुत किया जाए।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण में निम्न पुस्तकों सम्मिलित करने हेतु आयुर्वेद समिति की अनुशंसाओं को मान लिया :-

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. शरीर रचना                       | - डा० के० शर्मा |
| 2. अग्नि-कर्म टैक्नोलोजीकल इनोवेशन | - डा० पी० डी०   |

### विनियमों का उल्लंघन

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि अमरावती विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तीन आयुर्वेद महाविद्यालय, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की पूर्वानुमति के बिना विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं व अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर अर्हता अभी तक मान्य नहीं है। इस पर भी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अर्हता की अमान्य उपाधि प्रदान कर रहा है और छात्रों का भविष्य अन्धकारमय बना रहा है क्योंकि वे स्नातक शैक्षिक पदों पर जहाँ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता एक अनिवार्य शर्त है, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

उपर्युक्त सारी स्थिति सचिव, महाराष्ट्र सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं औषध विभाग, बम्बई और अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती के प्राधिकारियों को बताई गई व यह भी अनुरोध किया गया कि सारी स्थिति का पुनरावलोकन किया जाय और राज्य सरकार विश्वविद्यालय एवं संस्था के इस गैर-कानूनी व्यवहार को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

केन्द्रीय परिषद् को यह अंकित करते हुए आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के बार-बार अनुरोध करने और निर्देश देने पर भी चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा 1979 में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए विहित विनियमों को लागू करने में असफल रहा है। केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी भी इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के उपकुलपति से मिले थे। उन्होंने इन्हे अपनाने और इनका अनुसरण करने का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कारवाई नहीं की गई है।

समिति ने इस मामले को गम्भीरता से लिया और स्नातकोत्तर अर्हता को 1994 तक मान्यता देने और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में क्रम संख्या - 99 के कालम 4 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त एम० डी० आयुर्वेद के सम्मुख वर्ष 1994 लिखने का निर्णय लिया।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर और लखनऊ

विश्वविद्यालय, लखनऊ भी आयुर्वेद स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित विहित विनियमों को लागू करने में असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकांश आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षण और क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। आयुर्वेद महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में न्यूनतम आवश्यकताएँ नहीं हैं। महाविद्यालयों से सम्बन्धित अस्पतालों की दशा बहुत दयनीय है और स्न्तोपजनक नहीं है। उपाधि बिना विश्वविद्यालय प्रवेश प्रशिक्षण दिये ही प्रदत्त कर दी जाती है।

केन्द्रीय परिषद् ने प्रकरण को गम्भीरता से लिया कि दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पुराने पाठ्यक्रमों को आगे मान्यता न दी जाय। अतः यह निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में क्रम संख्या 100 और 107 के कालम 4 पर आयुर्वेदाचार्य और एम० डी० आयुर्वेद अर्हता के सम्मुख "आगे तक" के स्थान पर "वर्ष 1994 तक" लिख दिया जाय।

डी० ए० बी० आयुर्वेद महाविद्यालय, जालन्धर और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटियाला द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों और विहित विनियमों से उल्लंघन के मामले पर विचार किया गया। यह अनुभव किया गया कि गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा विशेष तौर पर विश्वविद्यालय प्रवेश पूरा करने के सम्बन्ध में विहित विनियमों का अनुपालन करने में असफल रही है। अतः यह निर्णय लिया गया कि दोनों विश्वविद्यालयों की आयुर्वेदाचार्य अर्हता और पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला की स्नातकोत्तर अर्हता को 1994 तक मान्य किया जाय। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाओं को आवश्यक कारवाई हेतु केन्द्र सरकार को भी भेजा जाय।

### नए महाविद्यालयों को अनुमति

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद स्नातकीय शिक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं को अनुरूप संस्था में उपलब्ध शिक्षा के न्यूनतम स्तरों और आकलन के निर्धारण के पश्चात् निम्न नई संस्थाओं को आयुर्वेद में स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति इस शर्त पर दी कि इंगित कमियों को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जायगा:-

1. संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर
2. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बीदर
3. आयुर्वेद महाविद्यालय, शंकर नगर, पूसाद
4. बैकवर्ड क्लास यूथ रिलीफ आयुर्वेद महाविद्यालय, नंदनवन, नागपुर।
5. ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पातूर।
6. छत्रपति साहू महाराज शिक्षण संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, औरंगाबाद।
7. भारतीय संस्कृत प्रबोधिनी आयुर्वेद महाविद्यालय, शिरोडा, (गोआ)
8. अश्विनी शिक्षा संघ, आयुर्वेद महाविद्यालय, दावनगीर।



9. टी० ए० एम० ई० सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, कोडाकट्टे भद्रावती।
10. वसन्त कुसुम रुरलयोग आयुर्वेद संशोधन प्रतिष्ठान सिद्ध कला आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर।
11. गंगा शिक्षा संगठन आयुर्वेद महाविद्यालय, कोल्हापुर
12. हनुमान शिक्षण प्रसारक मण्डल आयुर्वेद महाविद्यालय बडागाँव, कोल्हापुर।
13. यशवन्त शिक्षण प्रसारक मण्डल, यशवन्त आयुर्वेद महाविद्यालय, कोडाती।
14. चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय, साकेगाँव, भूसावल।
15. येरला मेडिकल ट्रस्ट रिसर्च सैन्टर आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बम्बई।

### आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के आकलन के उद्देश्य से निम्न संस्थाओं/आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :-

महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा ।		
1. दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, सीवान।	10.5.93	स्नातकीय
2. आयुर्वेद महाविद्यालय, गया।	8.6.93	स्नातकीय
पूना विश्वविद्यालय, पुणे ।		
1. बसन्त कुसुम रुरल योग एण्ड आयुर्वेद संशोधन प्रतिष्ठान सिद्ध कला आयुर्वेद महाविद्यालय, नेहरू चौक, संगमनेर-422605	5.7.93	स्नातकीय
2. संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, भरकन्त संजीवन औषधालय, नासिक, पूना रोड, संगमनेर-422605, अहमदनगर ।	6.7.93	स्नातकीय
3. श्री विवेकानन्द नर्सिंग होम श्री शिवाजी नगर, राहुरी, अहमदनगर ।	7.7.93	स्नातकीय
4. महाराष्ट्र आरोग्य मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, हड़पसर, पूना ।	8.8.93	स्नातकीय

महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ।		
1. गंगा ऐजुकेशनल सोसायटी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, कोल्हापुर-416012	7.7.93	स्नातकीय
2. यशवन्त शिक्षण प्रसारक मंडल श्री यशवन्त आयुर्वेद कालेज, पो० आ० कोडाती-416114, ताल्लुक-पनहाला, कोल्हापुर ।	8.7.93	स्नातकीय
3. हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, पेट-बडागाँव, ताल्लुक: हटकनगल, जिला-कोल्हापुर ।	9.7.93	स्नातकीय
उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव ।		
1. चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय, साकेगाँव भूसावल-425201	5.7.93	स्नातकीय
2. धुले चैरीटेबल सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, धुले ।	7.7.93	स्नातकीय
3. इंदिरा गांधी मैमोरियल फाऊण्डेशन दादासाहेब सरूपसिंह नायक आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक ।	6.7.93	स्नातकीय
बम्बई विश्वविद्यालय		
1. येरला मेडिकल ट्रस्ट एण्ड रिसर्च सैन्टर आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बम्बई-400012	8.7.93	स्नातकीय
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर		
1. बैकवर्ड क्लास यूथ रिलीफ कमेटी नागपुर आयुर्वेद महाविद्यालय, नन्दनवन, नागपुर	4.8.93	स्नातकीय
अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती		
1. आयुर्वेद महाविद्यालय, शंकर नगर, पूसाद, यवतमाल	5.8.93	स्नातकीय
2. ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पातूर, आकोला	6.8.93	स्नातकीय

महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
3. आर्यो टी० आयुर्वेद महाविद्यालय, आकोला	23.12.93	स्नातकीय
<b>गोवा विश्वविद्यालय</b>		
1. भारतीय संस्कृत प्रबोधनी आयुर्वेद महाविद्यालय, गोवा	6.7.93	स्नातकीय
<b>कूवेम्पू विश्वविद्यालय कूवेम्पू</b>		
1. ए० एल० एन० राव मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय, कोण्पा	30.8.93	स्नातकीय
2. टी० एम० ए० ई० सोसायटी, आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, कोडाकट्टे, भद्रावती, शिमोगा	14.9.93	स्नातकीय
3. अश्वनी एजुकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद मेडिकल कालेज, दावनगीर ।	15.10.93	स्नातकीय
<b>मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद</b>		
1. छत्रपति साहू महाराज शिक्षण संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, औरंगाबाद	12.10.93	स्नातकीय
<b>एम० जी० विश्वविद्यालय, कोट्टयम</b>		
1. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, त्रिपुनीथुरा	27.1.94	स्नातकीय
<b>सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर</b>		
1. एस० एस० एन० आयुर्वेद कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट नरसिंह नाथ, पो० आ०-पैकमल, जिला-सम्बलपुर	17.3.94	स्नातकीय

### यूनानी

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा यथा अनुमोदित एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश सहित 4½ वर्षीय (प्रत्येक 1½ वर्ष के पश्चात् तीन व्यावसायिक परीक्षाएं) यूनानी तिब्ब का कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत उपाधि पाठ्यक्रम का प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 22 (2) द्वारा यथा अपेक्षित समस्त राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया गया।

यह भी अंकित किया गया कि प्रारूप प्रस्ताव में निम्न अनुच्छेद सम्मिलित नहीं किए जा सके :-

- (1) यूनानी शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रयोजन।
- (2) उत्तीर्ण छात्रों को प्रदान की जाने वाली उपाधि की नामावलि।
- (3) शिक्षा का माध्यम।

केन्द्रीय परिषद् ने ऊपर उल्लिखित अनुबन्धों को सम्मिलित करने की यूनानी समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि इसे भारत सरकार की स्वीकृत के लिए भेजा जाय।

यूनानी तिब्ब में स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित विनियमों के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के अनुरूप यूनानी तिब्ब में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए जामिया हमदर्द (हमदर्द विश्वविद्यालय) को दो विषयों में अर्थात् इल्मुल अदबिया और मुआलीजात में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति इस शर्त पर दी कि यूनानी तिब्ब की स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित विनियमों के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित विभागानुसार शिक्षक वर्ग की पृथक रूप में नियुक्ति की जाय।

जामिया तिब्बिया, देवबन्द, उत्तर प्रदेश की प्रबन्धक समिति के द्वारा किए गए वास्तविक प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए अगले दो वर्ष के लिए यूनानी तिब्ब में स्नातकीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि कमियों को पूरा किया जाय एवं संस्था को कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध कराया जायगा।

ताज तिब्बिया कालेज, नागपुर को सत्र 1994-95 प्रारम्भ होने से पूर्व कमियों को पूरा करने की शर्त पर 50 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे दी। "मोहम्मदिया तिब्बिया महाविद्यालय, मालेगाँव" को परिदर्शकों द्वारा इंगित कमियों को पूरा करने की शर्त पर अगले दो वर्षों के लिए यूनानी उपाधि पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी गई।

### नए महाविद्यालयों को अनुमति

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी की स्नातकीय शिक्षा के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के अनुरूप यूनानी की स्नातकीय शिक्षा के लिए न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के निर्धारण के पश्चात् निम्न नई संस्थाओं को यूनानी की स्नातकीय पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी बशर्ते इंगित कमियों को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाय।

1. इबने-सिना तिब्बिया कालेज, बीनापाड़ा, आजमगढ़ (उ० प्र०)
2. जामिया तिब्बिया कालेज, देवबन्द, (उ० प्र०)
3. यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बी/1, अब्दुल हलीम लेन, कलकत्ता।

## यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के अनुरूप यूनानी तिब्ब में स्नातकीय शिक्षा के लिए न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु निम्न यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :-

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
1.	मोहम्मदिया तिब्बिया कालेज, मालेगांव	23.8.93	स्नातकीय
2.	यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पूणे	4.12.93	स्नातकीय
3.	जामिया तिब्बिया, देवबन्द (उ० प्र०)	16.11.93	स्नातकीय
4.	इबने-सिना तिब्बिया कालेज, बीनापारा, आजमगढ़	28 एवं 29.11.93	स्नातकीय
5.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	17.11.93	स्नातकोत्तर
6.	यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, कलकत्ता	11.12.93	स्नातकीय
7.	ताज तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, नागपुर	3.12.93	स्नातकीय

## सिद्ध

केन्द्रीय परिषद् ने सिद्ध समिति की अनुशंसाओं को मान लिया कि सिद्ध स्नातकोत्तर उपाधि की नामावलि निम्न हो :-

सिद्ध मरूथुवा पेरारिगनर (एम० डी० सिद्ध)

III शाखा गुणापदम

मूलिगई थाथु एवं जीवा

बागुप्पू, (मेटोरिया मेडिका-

सब्जियां, धातु एवं पशु)

IV शाखा सिद्ध मरूथुवम-पोथु (सामान्य चिकित्सा)

केन्द्रीय परिषद् ने सिद्ध समिति की अनुशंसाओं को सिद्ध स्नातकीय पाठ्यक्रम में तमिलनाडू के अतिरिक्त अन्य राज्यों से 10 छात्रों को प्रविष्ट करने का प्रावधान और श्री लंका के अतिरिक्त अन्य देशों से 2 छात्रों के प्रवेश का भी प्रावधान होना चाहिए, स्वीकार किया।

केन्द्रीय परिषद् ने सिद्ध मरूथुवम के पाठ्यविवरण में "गुणापदम मूलीगई" के

अधोल निम्न अनिवार्य औषधियों को सम्मिलित करने हेतु सिद्ध समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया :-

एण्टी-बायोटिक, सल्फाड्रग, हारमोन्स, विटामिन, ऐनल-जैसिक, हाइप्नोटिक्स, ट्राइक्लामाईड, बैकसीन, सीरम, एण्टी सेप्टिक, डिसइन्फेक्टेंट, एण्टी हिस्टामाईनस, एनेथेटिक एजेंट (लोकल, जनरल) मारफीन, एस्टोपाइन, पैथीडीन, हाइड्रोक्लोराइड।

## सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के अनुरूप स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु निम्न सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :-

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
1	राजकीय सिद्ध मेडिकल कालेज, मद्रास	20.12.93	स्नातकीय

## सामान्य

केन्द्रीय परिषद् ने संकल्प लिया कि परिषद् द्वारा पहले से ही अनुमोदित पत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों की विस्तृत सूचना मंगवाई जाय और सूचना को पुस्तक के रूप में कम्प्यूटराइज्ड किया जाय ताकि तुरन्त अध्ययन किया जा सके।

केन्द्रीय परिषद् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशानुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों से मान्यता शुल्क ले रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के कुछ महाविद्यालयों ने वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए मान्यता शुल्क अनुस्मारक भेजे जाने पर भी जमा नहीं करवाया है। केन्द्रीय परिषद् ने प्रकरण पर विचार किया और संकल्प लिया कि अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की ओर से राजकीय महाविद्यालयों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के सचिवों/निदेशकों और निजी संस्थाओं के लिए सोसायटी संस्थाओं के अध्यक्षों को सूचित करते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाय कि यदि अपेक्षित राशि 31.3.94 तक या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होती है तो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को अनुमोदित महाविद्यालयों की सूची में से सम्बन्धित महाविद्यालयों का नाम निकालने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

## भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर

भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय

परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा का एक रजिस्टर रखवाएगी जो भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर कहलाएगा और जिनमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जो तत्समय किसी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हों और जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं में से कोई भी रखते हों।

आन्ध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडू, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का 1986 तक का भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

वर्ष के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से सम्बन्धित केन्द्रीय रजिस्टर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश की राज्य परिषद् के प्रारम्भ से वर्ष 1987 तक का पूरा राज्य रजिस्टर बार-बार अनुरोध करने/अनुस्मारक भेजने पर भी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं हुआ है। इस लिए उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश का मार्च 1988 से 1991 तक का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार हो चुका है और भारत के राजपत्र में राजपत्रित अधिसूचना के लिए भारत सरकार मुद्रणालय को भेजा जा चुका है।

केन्द्रीय परिषद् ने जनवरी, 1987 से मार्च, 1991 तक के लिए भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

केन्द्रीय परिषद् ने पूर्वी और उत्तरी राज्यों की क्रमशः 28-29 सितम्बर, 93 और 6-7 दिसम्बर, 93 को सम्पन्न आंचलिक बैठकों के कार्यवृत्त दृढ़ किए। इस सम्बन्ध में यह अंकित किया गया कि विभिन्न क्षेत्रिय बैठकों में लिए गए निर्णयों में कुछ भिन्नता है। ऐसे मामलों में परिषद् ने निम्न निर्णय लिए -

- (क) वर्तमान राज्य मंडलों/परिषदों को भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय परिषद् की शाखाओं के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव रखा जाय।
- (ख) वर्तमान राज्य मंडलों/परिषदों को यदि अभी तक अपना नाम परिवर्तन नहीं किया है, राज्य भारतीय चिकित्सा परिषद् में परिवर्तित करना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में उपयुक्त संशोधन सुभाया जाय।
- (ग) अपंजीकृत/अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा भारतीय चिकित्सा में अनाधिकृत चिकित्साभ्यास के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में पहले से ही प्रस्तावित

और दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों की आंचलिक बैठकों में अपनाए गए संशोधन के प्रावधान को निम्न रूप में स्वीकार कर लिया गया -

“कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) का उल्लंघन करेगा, उसे एक वर्ष का कठोर कारावास और 10,000/- ₹० जुर्माने का दण्ड होगा। यदि वही व्यक्ति पुनः वही जुर्म करता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- ₹० तक के जुर्माने का दण्ड दिया जाएगा। यदि वह तीसरी बार ऐसा करता है तो अपने मौलिक अधिकार खो देगा। केन्द्रीय परिषद् को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध स्वयं अथवा राज्य की सक्षम एजेन्सी के माध्यम से कचहरी में अभियोग लगाने का अधिकार होगा।

- (घ) राज्य परिषदों द्वारा प्रत्येक पंजीकृत चिकित्साभ्यासी को फोटोग्राफ चिपका कर परिचय-पत्र जारी किया जाना चाहिए।
- (ङ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा व्यवसायिक आचार संहिता एवं आचरण के अनुपालनार्थ एक पोस्टर डिजाइन किया जाय और मुद्रित करवाया जाय और महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित करने हेतु समस्त राज्य मंडलों/परिषदों एवं मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों को परिचालित किया जाय। राज्य मंडलों/परिषदों को उसे मुद्रित करवाने हेतु और पंजीयन के समय प्रत्येक चिकित्साभ्यासी और पहले से पंजीकृत को भी मुहैया कराने का परामर्श दिया जाय।

## प्रशासन एवं वित्त

केन्द्रीय परिषद् के कार्यलय में सहायक निबन्धक (सिद्ध) का पद सृजित करने के लिए सिद्ध समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया और निर्णय लिया कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय के लिए सहायक निबन्धक (सिद्ध) का पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करने हेतु अनुरोध किया जाय ताकि सिद्ध शिक्षा से सम्बन्धित तकनीकी मामलों को देखने के लिए यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय क्योंकि सारी शब्दावली तमिल में है।

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाय। केन्द्रीय परिषद् के 35 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्नवत् है:-

अनुसूचित जाति	- 4
अनुसूचित जन जाति	- 2
विकलांग	- 2
भूतपूर्व सैनिक	- 1

## आय के स्रोत

वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित और सरकार के द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्न हैं :-

	गैर योजना	योजना
	रुपया लाख	रुपया लाख
1. बजट प्राक्कलन 1993-94 (परिषद् के द्वारा अनुमोदित)	33.21	51.00
2. बजट प्राक्कलन 1993-94 (मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित)	16.00	15.00
3. संशोधित प्राक्कलन 1993-94 (परिषद् के द्वारा अनुमोदित)	19.61	15.00
4. संशोधित प्राक्कलन 1993-94 (मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत)	18.00	15.00
5. मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 में जारी सहायता अनुदान	17.04	शून्य

## कार्यालय: महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली-2

स०ओ०ए०डी०5/एस०ए०आर०/भा०चि०के०परिषद्/94-95

दिनांक

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,  
निर्माण भवन,  
नई दिल्ली।

विषय :- वर्ष 1993-94 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सहित ससंद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

ससंद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां, उस तिथि को दर्शाते हुए जब ये ससंद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक को कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

ह०/-

उप निदेशक लेखा परीक्षा  
(निरीक्षण।।)

अनुलग्न-यथोपरि।

कार्यालय: महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली-2

सं०ओ०ए०डी०-11/एस०ए०आर०/भा०चि०के०परिषद्/94-95/257 दिनांक 12-12-1994

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सहित श्री आर० के० जैन, सचिव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, डी ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्ली को उनके पत्र सं० शून्य दिनांक शून्य के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, संबंधित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाय। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिन्दी रूपान्तर की पाँच प्रतियाँ भी शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

ह०/-

निदेशक लेखा परीक्षा  
(निरीक्षण।।)

सं०ओ०ए०डी०4/एस०ए०आर०/94/95

दिनांक:

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सहित श्री सरूप सिंह, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए०बी०), भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं० 192-रिपोर्ट/स्वास्थ्य विभाग/232-94 दिनांक 29.11.94 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।

मुख्यालय की टिप्पणियों अभ्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न हैं। यह नि०ले०प०के०रा०-1 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुगक:- यथोपरि

ह०/-

निदेशक लेखा परीक्षा  
(निरीक्षण।।)

वर्ष 1993-94 के लिए

## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

### 1. परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पत्रिका का अनुक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की गई थी।

परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् की वर्ष 1993-94 के दौरान गैर-योजना के अधीन 17.50 लाख रु और योजना के अधीन 22-00 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। परिषद् के विनियम 1976 के अधीन नियम 86 के अनुसार परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन की जाती है।

### 2. लेखाओं का संशोधन

भारत सरकार के निर्णय जो सितम्बर, 1992 में परिषद् को दिया गया, के अनुसार परिषद् ने मार्च, 1993 में निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति, के समस्त महाविद्यालयों से 1992-93 से स्नातक के लिए रु 5000/- प्रतिवर्ष और स्नातकोत्तर विषय/विभाग के लिए रु 2000/- प्रतिवर्ष मान्यता शुल्क लिया जाय।

यह देखा गया कि परिषद् ने मान्यता शुल्क की प्राप्ति को देखने हेतु महाविद्यालय संस्था के अनुसार कोई रिकार्ड नहीं रखा हुआ है जिसकी अनुपस्थिति में लेखा परीक्षा में वसूल करने योग्य शुल्क, वास्तव में वसूले गए शुल्क और बकाया राशि की सही स्थिति नहीं आंकी जा सकी।

## 2.2 तथापि परिषद् ने मान्यता शुल्क की स्थिति निम्न रूप में सूचित की -

वर्ष	वसूल करने योग्य राशि	1992-93 में प्राप्त राशि	1993-94 में प्राप्त राशि	31 मार्च, 1994 को बकाया राशि
1992-93	8,97,000	2,87,000	3,88,000	2,22,000
1993-94	10,72,000	--	5,98,000	4,74,000
1994-95	--	--	45,000	--
	-----	-----	-----	-----
	19,69,000	2,87,000	10,31,000	6,96,000
	-----	-----	-----	-----

लेखा परीक्षा के अनुरोध पर संस्था ने निम्न शुद्धियों को सम्मिलित करने हेतु वर्ष 1993-94 के लिए लेखाओं को संशोधित किया।

- (क) वर्ष 1992-93 के लिए वसूलने वाले 2.22 लाख रु० के मान्यता शुल्क को आय और व्यय लेखा के उपार्जित आय में लिया गया है।
- (ख) इसी भाँति वर्ष 1993-94 के लिए वसूलने वाले 4.74 लाख रु० के मान्यता शुल्क को लेखाओं में आय के रूप में लिया गया है।
- (ग) वर्ष 1994-95 के लिए अग्रिम रूप से मान्यता शुल्क प्राप्त के रूप में 0.45 लाख रु० को आय और व्यय लेखा से निकाल दिया गया है और तुलन-पत्र में दायित्व के रूप में दिखाया गया है।
- (घ) 31 मार्च, 1994 तक वसूलने वाले 6.96 लाख रु० के मान्यता शुल्क को भी तुलन-पत्र के परिसम्पत्ति की ओर दिखाया गया है।

## 3. पेंशन एवं निवृत्ति उपादान योजना

परिवार पेंशन योजना युक्त पेंशन एवं निवृत्ति उपादान योजना परिषद् में अप्रैल, 1983 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की शर्तों के अनुसार पेंशन निधि परिषद् के पास पहले से ही उपलब्ध अशंदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और एतद्विध निधियों के निवेश पर उपार्जित ब्याज सहित निधियों से निर्मित किया जाना था और केन्द्र सरकार के द्वारा इसके संवर्धन के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान निर्गमित नहीं

किया जाना था। परिषद् ने तथापि 1983-84 से 1992-93 के दौरान 3.76 लाख रु० नियोक्ता के अंशदान के रूप में स्थानान्तरित किए। मन्त्रालय द्वारा निधि स्थानान्तरण को नियमित करने हेतु कोई विशिष्ट स्वीकृति जारी नहीं की गई है। वर्ष 1983-84 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान निधियों के अनियमित स्थानान्तरण पर गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणी दी गई थी।

हस्ता० / -

महानिदेशक लेखा परीक्षा

स्थान - नई दिल्ली

महानिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय

तिथि -

केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 1994 को यथा तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्य कलापों का सही उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता० / -

मुख्य निदेशक लेखा परीक्षा

महानिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय

केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

स्थान - नई दिल्ली

तिथि -

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र 1994

विवरण	श्री 1993	श्री 1994	श्री 1995	श्री 1996	श्री 1997	श्री 1998
अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्य कलापों का सही उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।						
मुख्य निदेशक लेखा परीक्षा						
महानिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय						
केन्द्रीय राजस्व						
नई दिल्ली						
स्थान - नई दिल्ली						
तिथि -						



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के

प्राप्तियां	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
<b>1-4-94 को आद्य शेष</b>				
हस्तगत रोकड़	5,496.50		--	
बैंक के चालू खाते में नकद	1,02,771.25		1,613.95	
बैंक के बचत खाते में नकद	1,15,000.00		--	1,614
		2,23,268		
वर्ष 1993-94 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान		17,50,000		22,00,000
<b>सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय</b>				
अवकाश वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान	1,467			
सहायक सचिव (प्रशासन) एवं नि०श्रे० लि० के पद के लिए प्राप्त पोस्टल आर्डर	1,252			
अग्रिम पर ब्याज			3,186	
के०स०स्वा० योजना	462			
बचत खाते पर ब्याज	4,880			
		8,061		
<b>मान्यता शुल्क</b>				
1992-93	3,88,000			
1993-94	5,98,000			
1994-95	45,000	10,31,000		3,186
<b>अग्रिमों की वसूली</b>				
पर्व अग्रिम	13,620			
स्कूटर अग्रिम	5,260		1,000	
गृह निर्माण अग्रिम	--	18,880	40,100	41,100
<b>विविध प्रेषण</b>				
सामान्य भविष्य निधि	3,27,883			
आयकर	50,011	3,77,894		
अपेक्षित शेष		34,09,103		22,45,900

नई दिल्ली  
लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

अवकाशगी	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
<b>1. वेतन एवं भत्ते</b>				
अधिकारियों का वेतन	53,125			
कर्मचारियों का वेतन	5,03,601			
चिकित्साभ्यास बंधी भत्ता	92,850			
स्नातकोत्तर भत्ता	2,400			
सहाय्य भत्ता	5,55,935			
गृहभाटक भत्ता	1,37,653			
नगर प्रतिकर भत्ता	21,212			
पुनर्वास भत्ता	1,620			
वाहन प्रभार भत्ता	1,541			
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	1,532			
के०स०स्वा० योजना सुविधा	18,404			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	14,013			
बोनस	28,235			
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	6,000			
समय अतिकालिक भत्ता	1,190			
अवकाश यात्रा खियायत	17,724			
अन्तरिम सहायता	17,247	14,74,282		
<b>2. आकरिमिक व्यय</b>				
<b>क) आवर्ती व्यय</b>				
लेखन सामग्री	31,985			
किराया	56,400			
डाक एवं तार	14,309			
पूरभाष	30,642			
विद्युत प्रभार	12,793			
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	1,284			
यूनीफार्म प्रभार	7,858			
लेखा परीक्षा शुल्क	25,600			
कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव	14,416			
मुद्रण व्यय	8,367			
विधि सम्बन्धी व्यय	4,950			
प्रकाशन	--			22,45,900
बैंक प्रभार	22			
वाहन प्रभार	4,623			
विज्ञापन	6,165			
विविध प्रभार	58,206	2,77,620		
		17,51,902		22,45,900

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के  
गैर योजना योजना

व्यय	राशि	राशि	राशि
1. वेतन एवं भत्ते			
अधिकारियों का वेतन	53,125		
कर्मचारियों का वेतन	5,03,601		
चिकित्साभ्यास बंदी भत्ता	92,850		
स्नातकोत्तर भत्ता	2,400		
मंहगाई भत्ता	5,55,935		
गृहभाटक भत्ता	1,37,653		
नगर प्रतिकर भत्ता	21,212		
धुलाई भत्ता	1,620		
वाहन भत्ता	1,541		
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	1,532		
के०स०स्वा० योजना सुविधा	18,404		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	14,013		
बोनस	28,235		
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	6,000		
समय अतिकालिक भत्ता	1,190		
अवकाश यात्रा रियायत	17,724		
अन्तरिम सहायता	17,247	14,74,282	
2. आकस्मिक व्यय			
लेखन सामग्री	31,985		
किराया	56,400		
डाक एवं तार	14,309		
दूरभाष	30,642		
विद्युत प्रभार	12,793		
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	1,284		
यूनीफार्म प्रभार	7,858		
लेखा परीक्षा शुल्क	25,600		
कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव	14,416		
मुद्रण व्यय	8,367		
विधि सम्बन्धी व्यय	4,950		
वाहन प्रभार	*4,623		
विज्ञापन	6,165		
बैंक प्रभार	22		

नई दिल्ली  
लिए आय और व्यय का लेखा  
गैर योजना योजना

आय	राशि	राशि	राशि
वर्ष 1993-94 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान	17,50,000		22,00,000
पटार्-पूजीगत अनुदान	436	17,49,564	
विविध प्राप्तियां			
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	1,467		
पोस्टल आर्डर	1,252		
के०स०स्वा० योजना सुविधा	462		
ब्याज	4,880	8,061	
अन्य स्रोतों से आय			
मान्यता शुल्क			
1992-93	6,10,000		
1993-94	10,72,000	16,82,000	
अग्रिम पर ब्याज			3,186
आय से व्यय की अधिकता			5,26,574
अंशनीत शेष		34,39,625	27,29,760

पीछे से लाया गया शेष

17,51,902 शून्य

3. प्रकाशन

4. यात्रा सम्बन्धी व्यय

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	23,323
सचिव/कर्मचारी	18,887
कार्यकारणी समिति के सदस्य	49,202
शिक्षा समिति (आयुर्वेद) के सदस्य	17,407
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य	13,851
शिक्षा समिति (सिद्ध) के सदस्य	3,138
परिदर्शन समिति के सदस्य	1,01,395
परिषद् के सदस्य	1,90,515
आंचालिक बैठक	94,756
	5,12,474

5. पेंशन निधि में अंशदान

6. सामान्य भविष्य निधि का ब्याज

7. व्यय से आय की अधिकता

कुल	34,39,625
-----	-----------

27,29,760

27,29,760

34,39,625

27,29,760

विवरण	प्राप्त	व्यय	शेष
1. प्रकाशन			
2. यात्रा सम्बन्धी व्यय			
3. पेंशन निधि में अंशदान			
4. सामान्य भविष्य निधि का ब्याज			
5. व्यय से आय की अधिकता			
<b>कुल</b>	<b>34,39,625</b>	<b>27,29,760</b>	

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद  
31 मार्च, 1994 के

दायित्व	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
सामान्य आरक्षित				
स्थापना के दिन प्राप्त परिसम्पत्तियां		20,080.15		
शासकीय अनुदान से प्राप्त परिसम्पत्तियां				
गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,00,882.30		5,60,906.32	
	436.00	2,01,318.30	5,60,906.32	
उपकुल		2,21,398.45	5,60,906.32	
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,52,735.75			
	10,31,753.00			
	12,84,488.75	12,84,489.00		
मान्यता शुल्क		45,000.00		
प्रकाशन				
गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया			8,92,800.00	
			13,76,660.00	
			22,69,460.00	
घटाएं-वर्ष के दौरान समायोजित			8,92,800.00	13,76,660.00
			---	---
			---	---
कुल		15,50,887.45	19,37,566.32	

सर्व विल्ली  
समा तुलन-पत्र

परिसम्पत्तियां	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
(क) असावलेक प्रकृति				
1) फनीचर एवं उपस्कर				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		73,541.65		42,687.76
2) सातानुकूलित उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		22,340.73		26,789.80
3) कार्यालय उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		94,941.16		4,91,428.76
4) पुस्तकालय के लिए पुस्तकें				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	30,138.91			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	436.00	30,574.91		---
उपकुल		2,21,398.45		5,60,906.32
(ख) आवली प्रकृति				
1. वृत्तभाष		9,228.00		19,960.00
2. पूर्व अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	9,240.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	15,600.00			
	24,840.00			
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली		13,620.00	11,220.00	
3. स्कूटर अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	11,000.00			1,000.00
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	5,260.00	5,740.00	1,000.00	शून्य
4. ग्रह निर्माण अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार				40,100.00
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली			40,100.00	शून्य
5. मान्यता शुल्क		6,96,000.00		
6. सावधि जमा योजना में विनियोजन		4,50,000.00		
7. आय से व्यय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार			8,30,126.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया			5,26,574.00	13,56,700.00
8. 31-3-94 को अन्त शेष				
हस्तगत रोकड़	5,981.00			
बैंक के धान खाते में नकद	1,31,462.00			
बैंक के बचत खाते में नकद	19,858.00	1,57,301.00		
कुल		15,50,887.45	15,50,887.45	19,37,566.32

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
सामान्य भविष्य

31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के

प्राप्तियां	राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-94 को आद्य शेष	49,348.00
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	2,53,826.00
कर्मचारियों से ऋण की वसूली	91,160.00
<b>ब्याज</b>	
बचत खाता, मासिक आय-पत्र और विशिष्ट जमा योजना पर बैंक से अर्जित	88,092.28
परिषद् से प्राप्त	20,735.00
मासिक आय-पत्र की परिपक्वता पर	1,08,827.28
	1,00,000.00
<b>कुल</b>	<b>6,03,161.28</b>

नई दिल्ली  
निधि  
लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि
कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया ऋण	1,67,950.00
कर्मचारियों की अन्तिम निकासी	20,000.00
मासिक आय-पत्र में विनियोजन	4,00,000.00
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-94 को अन्तिम शेष	15,211.28
<b>कुल</b>	<b>6,03,161.28</b>

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
सामान्य भविष्य  
31 मार्च, 1994 को

1992-93	दायित्व	राशि	राशि
49,348.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	9,22,988.00	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
1,56,879.00	अंशदान	2,53,826.00	
85,562.00	ब्याज	1,08,827.28	
10,20,336.00		12,85,641.28	
97,348.00	घटाएं-अन्तिम निकासी	20,000.00	12,65,641.28
9,22,988.00			
9,22988.00			12,65,641.28

नई दिल्ली  
निधि  
यथा तुलन-पत्र

1992-93	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
	1. विनियोजन		
	क) विशेष जमा योजना		
1,70,500.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार		1,70,500.00
1,70,500.00			
	ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र		
75,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार		75,000.00
75,000.00			
	ग) मासिक आय प्रमाण-पत्र		
4,10,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	5,35,000.00	
2,35,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	4,00,000.00	
6,45,000.00		9,35,000.00	
1,10,000.00	घटाएं-विमोचित	1,00,000.00	8,35,000.00
5,35,000.00			
	2) कर्मचारियों को ऋण		
95,800.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	93,140.00	
78,850.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,67,950.00	
1,74,650.00		2,61,090.00	
81,510.00	वर्ष के दौरान की गयी वसूली	91,160.00	1,69,390.00
93,140.00			
	3) 31-3-1994 को बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में अन्त शेष		
49,348.00			
49,348.00			15,211.28
9,22,988.00	कुल		12,65,641.28

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
पेंशन एवं  
31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के

प्राप्तियां	राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-93 को आद्य शेष	18,336.64
वर्ष के दौरान अंशदान	1,22,761.00
बचत खाता, और मासिक आय प्रमाण-पत्र पर बैंक से अर्जित बयाज	60,366.06
मासिक आय-प्रमाण पत्र की परिपक्वता	2,70,000.00
<b>कुल</b>	<b>4,71,463.70</b>

नई दिल्ली  
ग्रेच्युटी निधि  
लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि
जमा योजना में विनियोजन	4,00,000.00
श्री एस०के०सिंह को पेंशन	35,146.00
बैंक प्रभार	5.00
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-94 को अंतिम शेष	36,312.70
<b>कुल</b>	<b>4,71,463.70</b>

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
पेंशन एवं  
31 मार्च, 1994 को


1992-93	दायित्व	राशि	राशि
5,68,879.02	गत तुलन-पत्र के अनुसार	5,53,336.64	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
56,911.00	अंशदान	1,22,761.00	
89,889.62	ब्याज	60,366.06	
7,15,679.64		7,36,463.70	
1,62,343.00	घटाएं-वर्ष के दौरान विमोचित	35,151.00	7,01,312.70
5,53,336.64			
-----		-----	-----
5,53,336.64			7,01,312.70
-----		-----	-----

नई दिल्ली  
ग्रेच्युटी निधि  
यथा तुलन-पत्र


1992-93	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
	विनियोजन		
4,42,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	5,35,000.00	
1,47,000.00	घटाएं-वर्ष के दौरान विमोचित	2,70,000.00	
2,95,000.00		2,65,000.00	
2,40,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	4,00,000.00	6,65,000.00
5,35,000.00			
18,336.64	बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-94 को अंतिम शेष		36,312.70
-----		-----	-----
5,53,336.64			7,01,312.70
-----		-----	-----




## CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



### REGISTRAR-CUM-SECRETARY



## CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE  
NEW DELHI**

**ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1993-94**

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was constituted in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub-Section (ii) dated 7.5.1984.

The main objects of the Central Council are as follows:-

- i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha & Unani.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
- (iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate level.

All the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum and syllabus prescribed by the Council.

**COMPOSITION OF THE COUNCIL**

The following are the members of the Central Council:-

**AYURVED**

1. Dr. D. Radhakrishnamurthy
2. Dr. P.B. Satakopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovart Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan N. Dave
9. Dr. Dinesh R. Patel
10. Dr. Krishna Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Rai Sharma
12. Kvj. B.N. Gupta
13. Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A.C. Rahula Kumar
16. Dr. K. Madhavan Nair
17. Vaidya Pt. Mahesh Dust Sharma Shastri
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Harikrishan S. Joshi
20. Dr. S.I. Nagral
21. Dr. Swapenshwar Panda
22. Vaidya Pramod Kumar Tewari
23. Vaidya Udai Shankar Sharma
24. Vaidya Gokulendra Sharma
25. Dr. V. Narayanaswamy
26. Dr. Ram Prakash Gupta
27. Dr. Hukum Chand Sharma
28. Dr. Prem Dutt Sharma
29. Dr. Ananda Roy
30. Vaidya K.K. Pandey
31. Dr. K.K. Zala
32. Vaidya Shamlal Vashishtha (Shastri)
33. Dr. L. Chikkarajanna
34. Dr. S.V. Savadi
35. Dr. Sachchidanand Upadhyay
36. Dr. A.K. Dulani

37. Vaidya Radhakrishna Shridhar Waray
38. Vaidya S.K. Mishra
39. Vaidya Jagannath Mishra
40. Dr. P.K. Debnath
41. Prof. R.C. Chaturvedi
42. Vaidya Hari Narayan Swami
43. Prof. V.J. Thakar
44. Acharya P.V. Sharma
45. Dr. S.T. Gujar
46. Vaidya Devendra K. Triguna
47. Kvj. Nanak Chand Sharma
48. Vaidya K.S. Varier
49. Dr. B.A. Hiremath
50. Dr. S.P. Gupta
51. Dr. D.L. Narayana
52. Vaidya Chandra Shekhar Gaur
53. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani
54. Dr. P.C. Bhattacharya

#### SIDDHA

55. Dr. G. Annaswamy
56. Dr. K. Palanichamy

#### UNANI

57. Hakim Mohd. Ashraf Karim
58. Dr. M.S. Gupta
59. Hakim Mohd. Umar
60. Dr. Dharam Chand
61. Dr. Daulat Ram Bharaj
62. Dr. Bansilal Pandita
63. Dr. Abdur Rehman
64. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
65. Hakim Abdul Mobin Khan
66. Hakim Ved Prakash Sharma
67. Hakim Iqbal Khan
68. Dr. M.T. Khan
69. Hakim Mohd. Ahmed Lari
70. Dr. Syed Shaji Hyder
71. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
72. Hakim Abdul Hameed
73. Hakim Faizan Ahmed
74. Hakim Faiyaz Alam
75. Dr. J.D. Sanderwale

The following are the office bearers of the Council:-

1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah - President
2. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani - Vice-President (Ay.)
3. Hakim M.A. Lari - Vice-President (Unani)
4. Dr. S.I. Nagral - Chairman, Education Committee (Ayurved)
5. Prof. Hakim Mohd. Taiyab - Chairman, Education Committee (Unani)
6. Dr. Prasanna Kumar Jain - Chairman Registration Committee
7. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri - Chairman, Regulation Committee

As per Section 9 (1) of the IMCC Act, 1970, the Central Council has the following main Committees namely:-

1. Ayurved Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consist of members elected under clauses (a) (b) and nominated under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine.

The Vice-President for each of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems of Medicine elected under sub-section (3) of Section (3) are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani Systems of medicine, as the case may be, within the competence of the Central Council.

The Central Council also constituted the following committees under Section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions.

## EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with regulations No. 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Council within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by members of all three systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani.

The following are the members of the Executive Committee:-

- Chairman- 1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah (President)  
 Member - 2. Vaidya Pt. S.K. Sharma Chhangani, Vice-President (Ayurved)  
 3. Hakim M.A. Lari, Vice-President (Unani)  
 4. Dr. S.T. Gujar  
 5. Vaidya Pramod Kumar Tewari  
 6. Dr. Ram Prakash Gupta  
 7. Prof. K. Madhavan Nair  
 8. Prof. Hakim M. Taiyab  
 9. Hakim Ved Prakash Sharma  
 10. Dr. K. Palanichamy

## REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee is constituted by the Council to draw up the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating there to under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:-

- Chairman 1. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri  
 Member 2. Vaidya Hari Narayan Swami  
 3. Dr. Swapenshwar Panda  
 4. Vaidya Panchayya Hosmath  
 5. Dr. Janardan N. Dave  
 6. Dr. P.B. Satakopacharya  
 7. Dr. Maheshwar Pandey  
 8. Dr. Gulshan Rai Sharma  
 9. Dr. D. Radhakrishnamurthy  
 10. Dr. J.D. Sanderwale  
 11. Dr. Bansi Lal Pandit  
 12. Dr. Abdur Rehman  
 13. Dr. Dharam Chand

## REGISTRATION COMMITTEE

The Council constituted Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to the registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of the Registration Committee:-

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Chairman | 1. Dr. Prasanna Kumar Jain      |
| Members  | 2. Prof. R.C. Chaturvedi        |
|          | 3. Dr. Krishna Chandra Sharma   |
|          | 4. Vaidya Hari Krishna S. Joshi |
|          | 5. Dr. P.K. Debnath             |
|          | 6. Dr. Prem Dutt Sharma         |
|          | 7. Dr. A.C. Rahula Kumar        |
|          | 8. Dr. D.R. Patel               |
|          | 9. Dr. B.A. Hiremath            |
|          | 10. Dr. Ram Prakash Gupta       |
|          | 11. Dr. Indra Mohan Jha         |
|          | 12. Dr. Madan Sarup Gupta       |
|          | 13. Dr. M.T. Khan               |
|          | 14. Hakim Mohammed Umar         |
|          | 15. Dr. Daulat Ram Bharaj       |
|          | 16. Hakim Faizan Ahmed          |

## EDUCATION COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha & Unani education respectively. The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani:-

### AYURVED

- |          |   |
|----------|---|
| Chairman | 1. Dr. S.I. Nagral                                  |
| Members  | 2. Vaidya Pt. S.K. Sharma Chhangani, V.P. (Ayurved) |
|          | 3. Vaidya Devendra Kumar Triguna                    |
|          | 4. Kvj. Nanak Chand Sharma                          |
|          | 5. Dr. Ram Prakash Gupta                            |
|          | 6. Dr. Ananda Roy                                   |
|          | 7. Dr. Satyapal Gupta                               |
|          | 8. Dr. Hukam Chand Sharma                           |
|          | 9. Vaidya S.K. Mishra                               |

10. Dr. Jagannath Mishra
11. Prof. P.V. Sharma
12. Kaviraj B.N. Gupt
13. Dr. V. Narayanaswami

### SIDDHA

1. Dr. K. Palanichamy
2. Dr. G. Annaswamy

### UNANI

Chairman  
Members

1. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
2. Hakim M.A. Lari, V.P. (Unani)
3. Hakim Syed Shaji Hyder
4. Hakim Mohd. Ashraf Karim
5. Hakim Abdul Mobin Khan
6. Hakim Abdul Hameed
7. Hakim Faiyaz Alam
8. Hakim Mohd. Iqbal Khan
9. Dr. Madan Sarup Gupta

During the year 1993-1994, the following meetings were held:-

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Central Council of Indian Medicine   | One   |
| 2. Ayurved Committee  | One   |
| 3. Siddha Committee   | One   |
| 4. Unani Committee  | One   |
| 5. Executive Committee  | Three |
| 6. Education Committee (Ay.)  | One   |
| 7. Education Committee (Unani)  | One   |
| 8. Education Committee (Siddha)   | One   |
| 9. Joint meeting Education Committees (Ayurved/Siddha/Unani)  | One   |
| 10. Departmental Promotion Committee  | One   |
| 11. Zonal meetings of Health Secretaries, Directors of I.S.M., President/Chairmen and Registrars of Board/Council of Indian Medicine of Eastern and Northern Zones, office bearers and members of CCIM belonging to concerned States. | Two   |

The annual meeting of the Central Council was held on 4.2.94 at New Delhi. The Central Council ratified the minutes of the meetings of various committees held during the year. The Central Council made the following recommendations.

The Central Council noted that the Ministry of Health & Family Welfare vide their office memorandum No. V. 26017/2/93-AE dated 28.4.93 informed that in a meeting of Health Secretaries of States, there was consensus of opinion that the norms and minimum standards laid down for I.S.M. colleges by Central Council of Indian Medicine need to be reviewed. The course Curriculum and facilities should be such as to prepare the I.S.M. practitioners for their future role in providing efficient and user friendly out patient treatment and counselling services to a large number of patients. There appears to be a very limited demand for I.S.M. surgical and interventional procedures of I.S.M. & treatment during emergencies. In these circumstances, it may be particularly necessary to reduce the present emphasis on hospital, student-bed-ratio in favour of augmentation facilities for OPD, laboratory and Pharmacy work. A thorough knowledge of medicinal plants is also most essential, thus well designed OPD's, well equipped laboratories, Pharmacies, Herbal gardens, well equipped class rooms are, perhaps, for more relevant than hospital beds. It is needless to reiterate that the formulation of more realistic standards is likely to result in more assistance to the I.S.M. colleges for reaching the revised minimum standards. It was requested that the whole question may, therefore, be considered urgently.

In view of the above, the Central Council reviewed the whole minimum Standards and Requirements for I.S.M. (Ayurved/Siddha/Unani) colleges and attached hospital and finalised the same.

### AYURVED

The Central Council noted that the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi vide their letter No. V.26015/1/92-AE dated 5.7.93 conveyed the sanction of the Central Govt. under clauses (i) and (j) of section 36 the IMCC Act, 1970 (48 of 1970) for further amendements to the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989 in Schedule I namely:-

“The qualification and experience prescribed for the post of Professor should be considered essential for the post of Principal.”

The above clause shall be inserted at the end of clause 14 under heading qualification and experience for teaching staff of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989.

No person other than approved teachers with 5 years teaching experience in the concerned subject shall be considered eligible to be the Examiner. This clause pertaining to appointment of Examiners in Ayurved

shall be inserted as a new clause No. 15 at the end of the above Regulations.

The Central Council decided that the second para of sub-clause (i) of clause (8.1) of Central Council of Indian Medicine (Minimum Standard of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989 be amended as under:-

“However, a student failed in one or more subjects of First Professional examination may be allowed to keep term in second professional course. Only those students who passed in all subjects, shall be allowed to appear in the Third Professional Examination.”

The Central Council noted that 10+2 with Science, Uttar Madhyama with Science an equivalent qualification have been prescribed at admission qualification under the Regulations pertaining to Under-graduate Education Regulations, 1989. It is therefore, decided that Upadhyaya examination (with Ayurved subject) conducted by Rajasthan Board may also be included as admission qualification.

The Central Council resolved that All India Ayurved Vidyapeeth may take necessary steps for the establishment of the Under-graduate college which is a pre-requisite for starting of Post-graduate course.

The Central Council noted and welcomed the statement of Hon'ble Minister Shri B. Shankaranand delivered in the Parliamentary Committee (Health) published in the newspapers that Central Government has decided to establish a separate Directorate of ISM. We also demand that it may be implemented at the earliest and Ayurved, Unani and Siddha Systems may be included in the National Health Scheme so that ISM may be developed in all the spheres and may be able to prove itself as the party in the National Health Programmes.

The Central Council noted that the draft Regulations pertaining to certificate/Diploma course in Ayurveda for foreign professional approved by Central Council of Indian Medicine was circulated to Health Secretaries of all State Governments to furnish their comments, if any, within three months as provided under provision of section 22 (2) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

In response to the above, Director of Indian Medicine and Homoeopathy, Orissa forwarded a copy of the Syllabus pertaining to Ras Shastra, Bhaishajya Kalpana and Swasthavritta for inclusion in the Syllabus of draft Regulations before furnishing the same to Ministry of Health & Family Welfare.

The Central Council agreed to for its inclusion in the proposed draft Regulations.

The Central Council agreed to the recommendations of Ayurved Committee to incorporate the following essential drugs in Syllabus of Ayurvedacharya course:-

“Anti-biotics, Sulpha-drugs, Hormones, Vitamins, Analgesic, Hypnotics, Tranquilizers, Vaccine & Serum, Anti-Septic, Dis-infectants, Anti-histamines, Anaesthetic agents (Local and general), Morphine, Atropine, Pathidine hydrochloride.”

The Central Council did not agree to accept the request of Director of Ayurved, Maharashtra to increase the seats of students in the following Ayurved colleges:-

1. Siddha Kala Ayurved Mahavidyalaya, Nehru Chowk, Sangamner
2. Sangam Sevabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner
3. Ganga Education Society's Ayurved Medical College, Kolhapur
4. Hanuman Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya Vadagaon, Kolhapur
5. Yashwant Ayurved College, At. Post Kodoli

The Central Council granted provisional permission to Seth Govindji Raoji Ayurved College, Sholapur to conduct Post-graduate course only in the subject of Shalaya Tantra with the condition that the maximum intake shall not be more than two Post-graduate students. The additional teaching posts required for Post graduate Deptt. as per norms laid down by CCIM should be filled within one year.

The Central Council after assessing the minimum educational standards and available facilities of teaching and practical training of Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune permitted to conduct Post-graduate course in Shalaky Tantra, Dravyaguna, Sharir Rachna and Agad Tantra subjects and to take admission for the current session 1993-94 with the condition that the intake of students will not exceed more than two in each department per year and subject to the condition of fulfilment of shortcomings pointed out by the visitors during visitation of the college.

The Ayurved Mahavidyalaya, Sion, Bombay was permitted to conduct post-graduate course in Samhita and Dravyaguna Subjects and to take admission for the current session 1993-94 with the condition that the intake of students will not exceed more than two in each department per year and subject to the condition of fulfilment of shortcomings as pointed out by the visitors during visitation of the college.

The Central Council after assessing the minimum standards & requirements available at the institutions for imparting Under-graduate course of Ayurved in conformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council permitted Ayurved Medical College, Gaya and Dayanand Medical College & Hospital, Siwan to make admission for the session 1993-94 subject to the condition of fulfilment of shortcomings pointed out by the Visiting Committee.

The Central Council directed A.L.N. Rao Memorial Ayurved College, Koppa to fulfil the shortcomings pointed out by the visitors by the end of this academic year and submit the compliance report to the Council for further permission to continue the college.

Shri Vivekanand Nursing Home, Shri Shivaji Nagar, Rahuri was granted permission to continue Ayurvedacharya course till academic year 1993-94 subject to the condition to fulfil the shortcomings and submit the compliance report within six months to the Central Council.

The Central Council keeping in view the recommendations of the visitors decided to grant permission to Maharashtra Arogya Mandal's Ayurved Mahavidyalaya, Hadapsar to conduct Ayurvedacharya course for the session 1993-94 only subject to fulfilment of the shortcomings within one year and submit the compliance report to the Council for permission to continue the Ayurvedacharya course in the next academic year.

The Central Council agreed to the recommendations of Ayurved Committee to include the following books in the syllabus of Ayurvedacharya course :-

1. Sharir Rachna - by Dr. K.K. Pandey
2. Agnikarma Technological Innovation - by Dr. P.D. Sharma

### VIOLETION OF REGULATIONS

The Central Council noted that three Ayurved Colleges affiliated to Amravati University are conducting Post-graduate course in various specialities without the prior permission of the Central Council of Indian Medicine as well as the Post-graduate qualification awarded by Amravati University is not recognised so far. Even then the University is awarding unrecognised Post-graduate qualification and making the future of students dark as these Post-graduates will not be eligible for appointment on teaching posts whereas having a recognised Post-graduate qualification is an essential condition.

The above position was informed to the Secretary, Govt. of Maharashtra.

Medical Education & Drugs Deptt., Bombay and the authorities of Amravati University. It was requested that whole situation may be reviewed and effective steps to stop this unhealthy practice of the University and institution should be taken by the State Government.

It was noted surprisedly that after making repeated requests and instructions from the Central Council of Indian Medicine, the Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi has failed to adopt and follow the Regulations pertaining to Post-graduate education of Ayurved prescribed by the Central Council of Indian Medicine. The office bearers of the Central Council have also met the Vice-Chancellor of the University. They assured to adopt and follow the same but no action has been initiated so far.

The Central Council took the matter seriously and decided to recognise the Post-graduate qualification upto 1994 and put the year 1994 against M.D. Ayurved qualification awarded by Banaras Hindu University in column 4 at Serial number 99 of Second Schedule to I.M.C.C. Act, 1978.

The Central Council noted that the Kanpur University, Kanpur and Lucknow University, Lucknow have also failed to implement the prescribed Regulations pertaining to Under-graduate and Post-graduate education of Ayurved. Besides, most of the Ayurved colleges of the State of U.P. are not having sufficient facilities for teaching and practical training. The minimum requirements in various departments of Ayurved colleges do not exist. The condition of hospital attached with the colleges are very poor and unsatisfactory. The students passing the degree course successfully are being awarded with the degree without getting proper internship training in absence of the proper facilities of the same at the Institute.

The Central Council took the issue very seriously and was of the view that the old courses followed by both the Universities may not be recognised further. It was, therefore, decided to put the year 1994 after following the procedure in place of onwards against the Ayurvedacharya and M.D. Ayurved qualifications awarded by Lucknow University, Lucknow and Kanpur University, Kanpur in column 4 at Sl.No.100 and 107 of Second Schedule to the I.M.C.C. Act, 1970 respectively.

The issue of violation of directives issued by the Central Council of Indian Medicine and Regulations prescribed by CCIM by D.A.V. Ayurved College, Amritsar and Govt. Ayurved College, Patiala was also taken into consideration. It was felt that Guru Nanak Dev University, Amritsar and Punjabi University, Patiala have failed to implement the prescribed Regulations pertaining to Under-graduate & Post-graduate education of Ayurved specially with regard to completion of internship training. It was, therefore,

decided to recognise the Ayurvedacharya qualification of both the Universities and Post-graduate qualification of Punjabi University, Patiala upto 1994. The recommendations of CCIM be forwarded to Central Government for necessary action.

### PERMISSION TO NEW COLLEGES

The Central Council, after assessing the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate education of Ayurved inconformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council under the regulations pertaining to Under-graduate education of Ayurved, permitted the following new institutions for imparting under-graduate course of Ayurved subject to the conditions that the shortcomings pointed out be fulfilled within one year :-

1. Sangam Sewabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner (Mah.)
2. Ayurved Medical College, Bidar
3. Ayurved Mahavidyalaya, Shankar Nagar, Pusad.
4. Backward Class Youth Relief Ayurved Mahavidyalaya, Nandanwan Nagpur.
5. Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur.
6. Chhatrapati Sahu Maharaj Shikshan Sansthan, Aurangabad.
7. Bhartiya Sanskrit Probodhini Ayurved Mahavidyalaya, Shiroda (Goa)
8. Ashwini Educational Association Ayurved Medical College, Devengere.
9. TAME Society's Ayurved Medical College, Koddakatte, Bhadravati
10. Vasant Kusum's Rural Yog & Ayurved Sanshodhan Paratishthanam's Sidh Kalan Ayurved Mahavidyalaya Sangamner
11. Ganga Educational Society's Ayurved Mahavidyalaya, Kolhapur
12. Hanuman Shikshan Prasarak Mandal, Ayurved Mahavidyalaya, Kolhapur
13. Yashwant Shikshan Prasarak Mandal's Yashwant Ayurved College, Kolhapur
14. Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya, Sakegaon, Bhusawal
15. Yerala Medical Trust Research Centre Ay. Medical College, Bombay

### VISITATION OF AYURVED COLLEGES

The following Ayurved colleges were visited during the year for the purpose to assess the minimum standards and requirements for imparting undergraduate/Post-graduate education inconformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council of Indian

Medicine:-

Name of the college	Date of Visitation	UG/PG
<b>KAMESHWAR SINGH DARBHANGA SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA, DARBHANGA</b>		

- |                                    |         |    |
|------------------------------------|---------|----|
| 1. Dayanand Ayurved College, Siwan | 10.5.93 | UG |
| 2. Ayurved Mahavidyalaya, Gaya     | 8.6.93  | UG |

### UNIVERSITY OF POONA, PUNE

- |   |        |    |
|---|--------|----|
| 1. Vasant Kusum's Rural Yog & Ayurved Sanshodhan Pratishthanam's Sidh Kalan Ayurved Mahavidyalaya, Nehru Chowk, Sangamner-422605 (Mah.) | 5.7.93 | UG |
| 2. Sangam Sewabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya C/o Sanjeevan Hospital, Nasik Poona Road, Sangamner-422605 (Mah.)                     | 6.7.93 | UG |
| 3. Shri Vivekanand Nursing Home Shri Shivaji Nagar Rahuri, Ahmednagar (Mah.)  | 7.8.93 | UG |
| 4. Maharashtra Arogya Mandal Ayurved Mahavidyalaya, Hadapsar, Poona (Mah.)  | 8.8.93 | UG |

### SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR

- |   |        |    |
|---|--------|----|
| 1. Ganga Educational Society's Ayurved Medical College Kolhapur (Mah.)  | 7.7.93 | UG |
| 2. Yashwant Shikshan Prasarak Mandal's Shri Yashwant Ay. College At. PO Kodali-416114, Tal. Panhala Kolhapur (Mah.) | 8.7.93 | UG |
| 3. Hanuman Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya Peth Vadagaon, Distt. Kolhapur (Mah.)                   | 9.7.93 | UG |

### NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY, JALGAON

- |  |        |    |
|--|--------|----|
| 1. Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya Sakegaon, Bhusawal (Mah.) | 5.7.93 | UG |
|--|--------|----|



- |   |        |    |
|---|--------|----|
| 2. Dhule Charitable Society's Ayurved Mahavidyalaya, Deopur, Dhule (Mah.)                           | 7.7.93 | UG |
| 3. Indira Gandhi Memorial Foundation's Dadasaheb Srupsingh Naik Ayurved Mahavidyalaya, Nasik (Mah.) | 6.7.93 | UG |

### UNIVERSITY OF BOMBAY

- |  |        |    |
|--|--------|----|
| 1. Yerala Medical Trust & Research Centre's Ayurved Medical College, Bombay (Mah.) | 8.7.93 | UG |
|--|--------|----|

### NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR

- |   |        |    |
|---|--------|----|
| Backward Class Youth Relief Committee's Nagpur Ayurved Mahavidyalaya Nandanwan, Nagpur (Mah.) | 4.8.93 | UG |
|---|--------|----|

### AMRAWATI UNIVERSITY, AMRAWATI

- |   |          |    |
|---|----------|----|
| 1. Ayurved Mahavidyalaya, Shankar Nagar Pused, Yeotmal (Mah.) | 5.8.93   | UG |
| 2. Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur Akola (Mah.)           | 6.8.93   | UG |
| 3. RT Ayurved College, Akola (Mah.)                           | 23.12.93 | PG |

### GOA UNIVERSITY

- |   |          |    |
|---|----------|----|
| 1. Bharteeya Sanskrit Probodhini Ayurved College, Shiroda (Goa) | 6-7.8.93 | UG |
|---|----------|----|

### KUVEMPU UNIVERSITY, KUVEMPU

- |   |         |    |
|---|---------|----|
| 1. ALN Rao Memorial Ayurved College, Koppa (Karnataka)                                | 30.8.93 | UG |
| 2. TAME Society's Ayurved Medical College Kodadakatte, Bhadravati Shimoga (Karnataka) | 14.9.93 | UG |
| 3. Ashwini Educational Association Ayurved Medical College, Davangere (Karnataka)     | 15.9.93 | UG |

### MARATHWADA UNIVERSITY, AURANGABAD

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sansthan's Ayurved Mahavidyalaya Aurangabad | 12.10.93 | UG |
|--|----------|----|

### M.G. UNIVERSITY, KOTTAYAM

- |  |         |    |
|--|---------|----|
| Govt. Ayurved College, Tripunithura (Kerala) | 27.1.94 | UG |
|--|---------|----|

### SAMBALPUR UNIVERSITY, SAMBALPUR

- |  |         |    |
|--|---------|----|
| SSN Ayurved College & Research Institute Nrusingh Nath, PO Paikmal Distt. Sambalpur (Orissa) | 17.3.94 | UG |
|--|---------|----|

### UNANI

The Central Council noted that the proposal of 4½ years degree course with one year internship (Three Professional examination after 1½ years each) of Kamil-e-tib-o-Jarahat of Unani Tib as approved by the Central Council of Indian Medicine was circulated to the Health Secretaries of all State Governments for comments as required under Section 22 (2) of the I.M.C.C. Act, 1970.

It was also noted that the following clauses could not be incorporated in the draft proposal:-

- 1) Aims & objects of Unani Education
- 2) Nomenclature of degree to be awarded to successful candidates.
- 3) Medium of Instructions.

The Central Council agreed to the recommendations of Unani Committee to incorporate the above mentioned clauses and finalised the proposal. It was also decided that this may be forwarded to the Ministry of Health for sanction.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Jamia Hamdard, New Delhi for the purpose of starting Post-graduate course in Unani Tib with the minimum standards and requirements prescribed by the Central Council under the regulations pertaining to Post-graduate education in Unani Tib permitted Jamia Hamdard

(Hamdard University) to start Post-graduate course, in two subjects i) Ilmul Advia and ii) Moalijat provided the Department-wise teaching staff are appointed separately as prescribed by the Central Council under the regulations pertaining to Post-graduate education of Unani Tib.

The Jamia Tibia Deoband, UP was allowed to continue the Under-graduate course in Unani Tib for a further period of two years keeping in view the sincere efforts made by the management and subject to the condition to fulfil the shortcomings and the institution to be affiliated with Kanpur University, Kanpur.

The Taj Tibbia College, Nagpur was permitted to admit 50 students provided the shortcomings are fulfilled before starting of session 1994-95.

Mohammedia Tibbia College, Malegaon was allowed to continue Unani degree course for a period of two years provided the shortcomings pointed out by the visitors are fulfilled.

#### PERMISSION TO NEW COLLEGES

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate education of Unani Tib in conformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council under the regulations pertaining to Under-graduate education of Unani, permitted the following new institutions/Unani colleges for imparting under-graduate course of Unani subject to the condition that the shortcomings pointed out be fulfilled within one year:-

1. Ibn-e-Sina Tibbia College, Beenapara, Azamgarh, (UP)
2. Jamia Tibbia, Deoband (UP)
3. Unani Medical College & Hospital, B/1, Abdul Halim Lane, Calcutta (WB)

#### VISITATION OF UNANI COLLEGES

The following Unani colleges were visited during the year to assess the minimum standard and requirements for Under-graduate education in Unani Tib in conformity with minimum standards and requirements laid

down by the Central Council of Indian Medicine:-

Name of the college	Date of visitation	UG/PG
<b>UNIVERSITY OF POONA, PUNE</b>		
1. Mohammedia Tibbia College, Malegaon (Mah.)	23.8.93	UG
2. Unani Medical College & Hospital, Pune (Mah.)	4.12.93	UG
<b>KANPUR UNIVERSITY</b>		
3. Jamia Tibbia, Deoband (UP)	16.11.93	UG
4. Ibn-e-Sina Tibbia College, Beenapara Azamgarh (UP)	28 & 29.11.93	UG
<b>HAMDARD UNIVERSITY</b>		
5. Jamia Hamdard, New Delhi	17.11.93	PG
<b>UNIVERSITY OF CALCUTTA</b>		
6. Unani Medical College & Hospital Calcutta (WB)	11.12.93	UG
<b>NAGPUR UNIVERSITY</b>		
7. Taj Tibbia College & Hospital, Nagpur	3.12.93	UG

#### SIDDHA

The Central Council agreed to the recommendations of Siddha Committee that the nomenclature of Post-graduate degree in Siddha should be as under:-

#### SIDDHA MARUTHUVA PERARIGNAR (M.D. SIDDHA)

BRANCH III GUNAPADAM  
Mooligai, Thathu & Jeeva  
Vaguppu  
(Materia Medica-Vegetable,  
Mineral & Animal Kingdom)

BRANCH IV Siddha Maruthuvam - Pothu  
(General Medicine)

The Central Council agreed to the recommendations of Siddha Committee that there should be a provision to admit 10 students from other States except Tamilnadu in Siddha Under-graduate and also a provision to admit two students from other countries other than Srilanka.

The Central Council agreed to the recommendations of Siddha Committee to include the essential drugs also in the Syllabus of Siddha Maruthuvam under the subject of "Gunapadam Mooligai" as under:-

"Anti-biotics, Sulpha-drugs, Hormones, Vitamins, Analgesics, Hypnotics, Tranquilizers, Vaccine & Serum, Anti-Septic, disinfectants, Anti histamines, Anaesthetic agents (Local + general) Morphine, Atropine, Pethidine hydrochloride."

### VISITATION OF SIDDHA COLLEGE

The following Siddha college was visited during the year to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate/Post graduate education in conformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council of Indian Medicine:-

Name of the college	Date of visitation	UG/PG
1. Government Siddha Medical College, Madras	20.12.93	UG

### GENERAL

The Central Council resolved that the detailed information of I.S.M. colleges be called for in the proforma already approved by the Council and information be computerised in a form of booklet so that spot study may be carried out.

The Central Council is charging recognition fee from the I.S.M. colleges as directed by the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi. Some I.S.M. colleges have not remitted the recognition fee for the year 1992-93 and 1993-94 in spite of sending the reminders. The Central Council considered the issue and resolved that a DO letter from the President, Central Council of Indian Medicine may be sent to Health Secretaries/Directors of Indian Systems of Medicine in respect of Govt. colleges and to President of the Societies/Institutions in respect of private institutions informing that if the required fee is not remitted on or before 31.3.94, the Central Council will be compelled to withdraw the name of the concerned college from list of approved colleges.

### CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

The preparation and maintenance of the Central Register of Indian Medicine is one of the main functions of the Central Council. As per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 the Central Council shall cause to be maintained in the prescribed manner, a register of Indian Medicine to be known as Central Register of Indian Medicine which shall contain the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognised medical qualifications included in the Schedule to the I.M.C.C. Act, 1970.

The Central Register of Indian Medicine almost upto 1986 pertaining to Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Orissa, Punjab, Tamilnadu, West Bengal, Delhi, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan have been published in the Gazette of India. The Central Register of Bihar and Kerala is likely to be received after Gazette Notification.

During the year the Central Register pertaining to Gujarat, Maharashtra and Rajasthan were published in the Gazette of India.

The State Register in the prescribed proforma has not been received from Uttar Pradesh from inception of the State Council to 1987 in spite of repeated requests/reminders. Hence, nothing could be done to prepare the Central Register of Indian Medicine pertaining to U.P. However, the Central Register from 1988 to 1991 of U.P. has been prepared and sent for Gazette Notification.

The Central Council has further started the work relating to preparation of Central Register of Indian Medicine from January, 1987 to March, 1991.

The Central Council ratified the minutes of the Zonal meetings of Eastern and Northern States held on 28th-29th September, 1993 and 6th & 7th December, 1993 respectively. In this connection, it was noted that there were some differences in the decision taken at different Zonal meetings. In such cases the Central Council decided as under :-

- Present State Boards/Councils should function as Branches of Central Council of Indian Medicine. Suitable amendments may be proposed in the I.M.C.C. Act, 1970 for this purpose.
- Present State Boards/Councils should change their names as State Council of Indian Medicine, if not changed so far. Suitable amendment

may be proposed in the I.M.C.C. Act, 1970 for this purpose.

- (c) For unauthorised practice in Indian Medicine by unregistered/unqualified persons the provision already proposed in the amendment to the IMCC Act, 1970 and adopted in Zonal meetings of Southern and Western States was agreed to as under :-

“Any person who acts in contravention of sub-section (2) shall be punished with rigorous imprisonment of one year and a fine of Rs.10,000/. If the same person is charged second time then rigorous imprisonment of two years and a fine of Rs. 50,000/- shall be awarded. And if charged third time, then he shall forfeit basic rights. The Central Council shall have powers to arraign such a person on its own or through a competent Agency of the State in the court of Law.”

- (d) The State Council should issue Identity cards with photograph affixed on it to each registered practitioner.
- (e) A poster on an observance of Professional Code of Conduct and Ethics be designed and printed by the CCIM and circulated to all the State Boards/Councils and recognised I.S.M. colleges for display at important places. The State Boards/Councils be advised to print and provide the same to each practitioner at the time of registration and also to those who are already registered.

It was also noted that the Schedules of recognised medical qualifications in Indian Medicine have not been brought in conformity with the Schedules of the Central Act inspite of issue of necessary instructions from the Government of India and the Central Council.

#### ADMINISTRATION AND FINANCE

The Central Council agreed to the recommendations of Siddha Committee to create a post of Assistant Register (Siddha) in the office of the Central Council so that a technical person of Siddha System may be appointed to look after the technical matters pertaining to Siddha education.

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of 35 employees of the Central

Council, the reservations made for different categories is as under :-

Schedule Caste	- Four
Schedule Tribe	- Two
Physically Handicapped	- Two
Ex-servicemen	- One

#### BUDGETARY RESOURCES

The Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1993-94 were approved by the Council and released/sanctioned by the Government are as under :-

	Non-Plan Rs. in lakh	Plan Rs. in lakh
1. Budget Estimates 1993-94 (Approved by the Council)	28.08	30.00
2. Budget Estimates 1993-94 (Sanctioned by the Ministry)	19.00	20.00
3. Revised Estimates 1993-94 (Approved by the Council)	46.85	20.00
4. Revised Estimates 1993-94 (Sanctioned by the Ministry)	20.00	22.00
5. Grant-in-aid released by Ministry	17.50	22.00

may be proposed in the I.M.C.C. Act, 1970 for this purpose.

- (c) For unauthorised practice in Indian Medicine by unregistered/unqualified persons the provision already proposed in the amendment to the IMCC Act, 1970 and adopted in Zonal meetings of Southern and Western States was agreed to as under :-

“Any person who acts in contravention of sub-section (2) shall be punished with rigorous imprisonment of one year and a fine of Rs.10,000/. If the same person is charged second time then rigorous imprisonment of two years and a fine of Rs. 50,000/- shall be awarded. And if charged third time, then he shall forfeit basic rights. The Central Council shall have powers to arraign such a person on its own or through a competent Agency of the State in the court of Law.”

- (d) The State Council should issue Identity cards with photograph affixed on it to each registered practitioner.
- (e) A poster on an observance of Professional Code of Conduct and Ethics be designed and printed by the CCIM and circulated to all the State Boards/Councils and recognised I.S.M. colleges for display at important places. The State Boards/Councils be advised to print and provide the same to each practitioner at the time of registration and also to those who are already registered.

It was also noted that the Schedules of recognised medical qualifications in Indian Medicine have not been brought in conformity with the Schedules of the Central Act in spite of issue of necessary instructions from the Government of India and the Central Council.

#### ADMINISTRATION AND FINANCE

The Central Council agreed to the recommendations of Siddha Committee to create a post of Assistant Register (Siddha) in the office of the Central Council so that a technical person of Siddha System may be appointed to look after the technical matters pertaining to Siddha education.

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of 35 employees of the Central

Council, the reservations made for different categories is as under :-

Schedule Caste	- Four
Schedule Tribe	- Two
Physically Handicapped	- Two
Ex-servicemen	- One

#### BUDGETARY RESOURCES

The Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1993-94 were approved by the Council and released/sanctioned by the Government are as under :-

	Non-Plan Rs. in lakh	Plan Rs. in lakh
1. Budget Estimates 1993-94 (Approved by the Council)	28.08	30.00
2. Budget Estimates 1993-94 (Sanctioned by the Ministry)	19.00	20.00
3. Revised Estimates 1993-94 (Approved by the Council)	46.85	20.00
4. Revised Estimates 1993-94 (Sanctioned by the Ministry)	20.00	22.00
5. Grant-in-aid released by Ministry	17.50	22.00

**OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT  
CENTRAL REVENUES, NEW DELHI-110002**

No. OADII/SAR/CCIM/94-95/256

**Confidential**  
Dated: 12.12.94

To  
The Secretary to the Government of India  
Ministry of Health & Family Welfare  
Nirman Bhavan  
New Delhi

**Sub:** Audit Report on the Central Council of Indian Medicine, New Delhi  
for the year 1993-94

Sir,

I am to enclose a copy of the certified annual accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1993-94 together with the Audit Report thereon and Audit Certificate for being laid on the Table of Parliament.

Two copies of the documents as presented to the Parliament may please be furnished to this office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India indicating the date on which these were presented to Parliament.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully  
Sd/-

Dy. Director of Audit (Inspection-II)

Encl : as above.

No. OADII/SAR/CCIM/94-95/257

Dated : 12.12.94

Copy together with a copy of the certified annual accounts the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to the Secretary, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058, for necessary action with reference to their letter No.----- dated ----. The date on which the certified annual accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office along with supporting documents. Five copies of the Hindi version of the Certified annual accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-  
DY. DIRECTOR OF AUDIT (INSPECTION II)

Encl : as above.

No. OADII/SAR/CCIM/94-95/258

Dated : 12.12.94

Copy together with a copy of the certified annual accounts the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Shri Saroop Singh, Administrative Officer, (Rep. AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No.192-Report/Health Deptt./232-94 dated 29.11.94.

A Statement incorporating replies to Headquarter's comments/observations is also enclosed

This issues with the approval of DACR I.

Sd/-  
DY. DIRECTOR OF AUDIT  
(INSPECTION II)

Encl : as above.

**Audit Report on the Accounts of the CCIM,  
New Delhi for the year 1993-94.**

**INTRODUCTION**

The Central Council of Indian Medicine (Council) New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the object of prescribing minimum standards of education for courses in Indian System, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

The Council is financed mainly by grants from Govt. of India. the Council received grants amounting to Rs.17.50 lakh under Non Plan and Rs.22.00 lakh under Plan during 1993-94. As required under Rule 86 of the Council's Regulations, 1977 made under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Central Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Condition of Service) Act, 1971.

**2. Revision of Accounts:**

As per decision of the Govt. of India conveyed to the Council in September, 1992, the Council decided in March, 1993 to charge rec-

ognition fee from all colleges teaching Indian System of Medicines at the rate of Rs.5000/- per annum for Under-graduate and Rs.2000/- per annum for Post-graduate speciality/departments from 1992-93 onwards.

It was observed that the Council had not maintained any college/Institution wise records to watch the receipt of recognition fee in the absence of which correct position of fees recoverable, fees actually received and balance outstanding could not be verified in Audit.

**2.2 The Council, however, intimated the position of recognition fees as under :**

Year	Amount recoverable	Amount received in 1992-93	Amount received in 1993-94	Amount outstanding as on 31.3.94.
1992-93	8,97,000	2,87,000	3,88,000	2,22,000
1993-94	10,72,000	-	5,98,000	4,74,000
1994-95	-	-	45,000	-
	19,69,000	2,87,000	10,31,000	6,96,000

The Institute revised the accounts for the year 1993-94 at the instance of audit to incorporate the following corrections.

- (a) Recognition fee of Rs.2.22 lakh recoverable for the year 1992-93 was taken as accrued income in the income and expenditure account.

- (b) Similarly recognition fee of Rs.4.74 lakh recoverable for the year 1993-94 was also taken as income in the accounts.
- (c) Rupees 0.45 lakh received in advance for the year 1994-95 on account of recognition fee was removed from the Income and Expenditure Account and shown as liability in the balance sheet.
- (d) The recognition fee of Rs.6.96 lakh recoverable as on 31st March, 1994 was also shown on the asset side of the balance sheet.

**3. Pension-Cum-Gratuity Scheme**

Pension-cum-gratuity scheme including family pension scheme was introduced in the Council with effect from April, 1983. According to the terms and conditions of the Scheme, the Pension Fund was to be created from the funds already available on account of employer's contribution to contributory provident fund together with interest that may accrue on investment of such funds and no additional grants for augmenting the Pension Fund were to be released by Central Government. The Council had, however, transferred Rs.3.76 lakh as employer's contribution during 1983-84 to 1992-93. No specific sanction had been issued by the Ministry to

Year	Amount receivable	Amount received
1992-93	8,83,000	2,87,000
1993-94	10,22,000	
1994-95		
	19,05,000	2,87,000

The Institute revised the accounts for the year 1993-94 at the instance of audit to incorporate the following corrections

- (a) Recognition fee of Rs.3.23 lakh recoverable for the year 1993-94 was taken as accrued income in the Income and Expenditure Account

regularise the transfer of funds. The irregular transfer of funds during 1983-84 to 1992-93 was also commented upon in the earlier Audit Reports.

Sd/-  
Principal Director of Audit  
Office of the Director General of Audit,  
Central Revenues

Place : New Delhi.  
Dated : 12.12.1994.

Principal Director of Audit  
Office of the Director General of Audit,  
Central Revenues

Place : New Delhi.  
Date : 12.12.1994



**Audit Certificate**

I have examined the Receipts and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 1994 and the Balance Sheet as on 31st March, 1994 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-

Principal Director of Audit  
Office of the Director General of Audit  
Central Revenues

Place : New Delhi.

Dated : 12.12.1994.

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS**

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.93		
Grant-in-Aid	1,22,000.00	
Income other than Grant-in-Aid	17,30,000.00	
Less: Salary Contribution and Pension Contribution	(1,45,000.00)	
Post Office received for the Post of Aarti (Aarti)	(1,22,000.00)	
Interest on Advances	(423.00)	
Interest on Saving Ac	(4,880.00)	
RECOGNITION FEE		
1991-92	2,58,000.00	
1992-93	2,58,000.00	
1993-94	10,31,000.00	
RECOVERY OF ADVANCES		
Festival Advances	13,820.00	
House Advances	2,380.00	
House Building Advances	18,880.00	
MISCELLANEOUS REMITTANCES		
Grant-in-Aid	1,22,000.00	
Income Tax	17,30,000.00	
<b>BALANCE C/D</b>		<b>34,02,103.00</b>

**CENTRAL COUNCIL  
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS**

RECEIPTS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)
<b>OPENING BALANCE AS ON 1.4.93</b>				
Cash in Hand	5,496.50			
Cash at Bank in Current A/c	1,02,771.25		1,613.95	
Cash at Bank in Saving Bank A/c	1,15,000.00	2,23,268		1,614
Grant-in aid received from Ministry of Health & Family welfare, New Delhi during 1993-94		17,50,000		22,00,000
<b>INCOME OTHER THAN GRANT-IN-AID</b>				
Leave Salary Contribution and Pension Contribution	1,467			
Postal Order received for the Post of Asstt. Secretary (Admn.) & L.D.C.	1,252			
Interest on Advance C.G.H.S. Facilities	452		3,186	
Interest on Saving A/c	4,880	8,061		
<b>RECOGNITION FEE</b>				
1992-93	3,88,000			
1993-94	5,98,000			
1994-95	45,000	10,31,000		3,186
<b>RECOVERY OF ADVANCES</b>				
Festival Advance	13,620			
Scooter Advance	5,260		1,000	
House Building Advance		18,880	40,100	41,100
<b>MISCELLANEOUS REMITTANCES</b>				
General Provident Fund	3,27,883			
Income Tax	50,011	3,77,894		
BALANCE C/F		34,09,103		22,45,900

**OF INDIAN MEDICINE  
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH 1994**

PAYMENTS	NON PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
<b>1. PAY &amp; ALLOWANCE</b>			
Pay of Officer	53,125		
Pay of Establishment	5,03,601		
Non-Practising Allowance	92,850		
Post Graduate Allowance	2,400		
Dearness Allowance	5,55,935		
House Rent Allowance	1,37,653		
City Compensatory Allowance	21,212		
Washing Allowance	1,620		
Conveyance Allowance	1,541		
Tuition Reimbursement	1,532		
C.G.H.S. Facilities	18,404		
Medical Reimbursement	14,013		
Bonus	28,235		
Remuneration PA to President	6,000		
Overtime Allowance	1,190		
Leave Travel Concession	17,724		
Interim Relief	17,247	14,74,282	
<b>2. CONTINGENCIES</b>			
<b>a) Recurring Expenditure</b>			
Stationary	31,985		
Rent	56,400		
Postage & Telegram	14,309		
Telephone	30,642		
Electric Charges	12,793		
Newspaper & Periodical Books	1,284		
Liveries Expenses	7,858		
Audit Fee	25,600		
Maintenance of Office Equipment	14,416		
Printing Expenses	8,367		
Legal Expenses	4,950		
Publication			22,45,900
Bank Charges	22		
Conveyance Expenses	4,623		
Advertisement	6,165		
Sundry Expenses	58,206	2,77,620	
		17,51,902	22,45,900

BALANCE B/F

34,09,103

22,45,900

17,51,902

22,45,900

b) Non-Recurring Expenditure

Books for Library 436

3. Travel Expenses

President/ Vice President	23,323	
Secretary/Establishment	18,887	
Members of Executive Committee	49,202	
Members of Education Committee (Ayurved)	17,407	
Members of Education Committee (Unani)	13,851	
Members of Education Committee (Siddha)	3,138	
Members of Visiting Committee	1,01,395	
Members of Council	1,90,515	
Zonal Meeting	94,756	5,12,474
	-----	

4. Advance To Employee

Festival Advance 15,600

5. Miscellaneous Remittance

General Provident Fund	3,27,883	
Income Tax	50,011	3,77,894
	-----	

6. Contribution

Pension Fund	1,22,761	
Interest to General Provident Fund	20,735	1,43,496
	-----	

7. Investment in Fixed Deposit

4,50,000

8. Closing Balance as on 31-3-1994

Cash in hand	5,981	
Cash at Bank in Current A/c	1,31,462	
Cash at Bank in Saving Bank	19,858	1,57,301
	-----	

TOTAL

34,09,103

22,45,900

TOTAL

34,09,103

22,45,900

**CENTRAL COUNCIL  
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS**

EXPENDITURE	NON PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
<b>1. PAY &amp; ALLOWANCE</b>			
Pay of Officer	53,125		
Pay of Establishment	5,03,601		
Non-Practising Allowance	92,850		
Post Graduate Allowance	2,400		
Dearness Allowance	5,55,935		
House Rent Allowance	1,37,653		
City Compensatory Allowance	21,212		
Washing Allowance	1,620		
Conveyance Allowance	1,541		
Tuition Reimbursement	1,532		
C.G.H.S. Facilities	18,404		
Medical Reimbursement	14,013		
Bonus	28,235		
Remuneration PA to President	6,000		
Overtime Allowance	1,190		
Leave Travel Concession	17,724		
Interim Relief	17,247	14,74,282	
	-----		
<b>2. CONTINGENCIES</b>			
Stationary	31,985		
Rent	56,400		
Postage & Telegram	14,309		
Telephone	30,642		
Electric Charges	12,793		
Newspaper & Periodical Books	1,284		
Liveries Expenses	7,858		
Audit Fee	25,600		
Maintenance of Office			
Equipment	14,416		
Printing Expenses	8,367		
Legal Expenses	4,950		
Conveyance Expenses	4,623		
Advertisement	6,165		
Bank Charges	22		
Sundries Expenses	58,206	2,77,620	
	-----	-----	-----
<b>BALANCE C/F</b>		<b>17,51,902</b>	<b>NIL</b>

**OF INDIAN MEDICINE  
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH 1994**

INCOME	NON PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1993-94	17,50,000		22,00,000
Less : Grant Capitalise	436	17,49,564	
	-----		
<b>MISCELLANEOUS RECEIPTS</b>			
Leave Salary & Pension			
Contribution	1,467		
Postal Orders	1,252		
C.G.H.S. Facilities	462		
Interest	4,880	8,061	
	-----		
<b>INCOME FROM OTHER SOURCES</b>			
Recognition Fee			
1992-93	6,10,000		
1993-94	10,72,000	16,82,000	
	-----		
<b>INTEREST ON ADVANCE</b>			3,186
<b>EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME</b>			5,26,574
<b>BALANCE C/F</b>		<b>34,39,625</b>	<b>27,29,760</b>

**CENTRAL COUNCIL  
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS**

EXPENDITURE	NON PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
<b>1. PAY &amp; ALLOWANCE</b>			
Pay of Officer	53,125		
Pay of Establishment	5,03,601		
Non-Practising Allowance	92,850		
Post Graduate Allowance	2,400		
Dearness Allowance	5,55,935		
House Rent Allowance	1,37,653		
City Compensatory Allowance	21,212		
Washing Allowance	1,620		
Conveyance Allowance	1,541		
Tuition Reimbursement	1,532		
C.G.H.S. Facilities	18,404		
Medical Reimbursement	14,013		
Bonus	28,235		
Remuneration PA to President	6,000		
Overtime Allowance	1,190		
Leave Travel Concessi on	17,724		
Interim Relief	17,247	14,74,282	
<b>2. CONTINGENCIES</b>			
Stationary	31,985		
Rent	56,400		
Postage & Telegram	14,309		
Telephone	30,642		
Electric Charges	12,793		
Newspaper & Periodical Books	1,284		
Liveries Expenses	7,858		
Audit Fee	25,600		
Maintenance of Office			
Equipment	14,416		
Printing Expenses	8,367		
Legal Expenses	4,950		
Conveyance Expenses	4,623		
Advertisement	6,165		
Bank Charges	22		
Sundries Expenses	58,206	2,77,620	
<b>BALANCE C/F</b>		<b>17,51,902</b>	<b>NIL</b>

**OF INDIAN MEDICINE  
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH 1994**

INCOME	NON PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1993-94	17,50,000		22,00,000
Less : Grant Capitalise	436	17,49,564	
<b>MISCELLANEOUS RECEIPTS</b>			
Leave Salary & Pension			
Contribution	1,467		
Postal Orders	1,252		
C.G.H.S. Facilities	462		
Interest	4,880	8,061	
<b>INCOME FROM OTHER SOURCES</b>			
Recognition Fee			
1992-93	6,10,000		
1993-94	10,72,000	16,82,000	
<b>INTEREST ON ADVANCE</b>			3,186
<b>EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME</b>			5,26,574
<b>BALANCE C/F</b>		<b>34,39,625</b>	<b>27,29,760</b>



**CENTRAL COUNCIL  
BALANCE SHEET AS**

LIABILITIES	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)
<b>GENERAL RESERVE</b>				
Assets acquired the day of Estt.		20,080.15		
<b>ASSETS ACQUIRED OUT OF GOVT. GRANT</b>				
As per last Balance Sheet	2,00,882.30		5,60,906.32	
Addition during the year	436.00	2,01,318.30		5,60,906.32
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,21,398.45</b>		<b>5,60,906.32</b>
Excess of Income over Expenditure As per last Balance Sheet	2,52,735.75			
Addition during the year	10,31,753.00			
Recognition Fee	12,84,488.75	12,84,489.00		45,000.00
<b>PUBLICATION</b>				
As per last Balance Sheet			8,92,800.00	
Addition during the year			13,76,660.00	
			22,69,460.00	
Less: Adjusted during the year			8,92,800.00	13,76,660.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,50,887.45</b>		<b>19,37,566.32</b>

**OF INDIAN MEDICINE  
ON 31ST MARCH 1994**

ASSETS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)
<b>(A) NON RECURRING NATURE</b>				
1) Furniture & Fixture As per last Balance Sheet	73,541.65			42,687.76
2) Air Cooling Appliance As per last Balance Sheet	22,340.73			26,789.80
3) Office Equipments As per last Balance Sheet	94,941.16			4,91,428.76
4) Books for Library As per last Balance Sheet	30,138.91			
Addition during the year	436.00	30,574.91		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,21,398.45</b>		<b>5,60,906.32</b>
<b>(B) RECURRING NATURE</b>				
1. Telephones		9,228.00		19,960.00
2. Festival Advance As per last Balance Sheet	9,240.00			
Addition during the year	15,600.00			
	24,840.00			
Less: Recovery during the year	13,620.00	11,220.00		
3. Scooter Advance As per last Balance Sheet	11,000.00			1,000.00
Less: Recovery during the year	5,260.00	5,740.00		1,000.00
4. House Building Advance As per last Balance Sheet				40,100.00
Less: Recovery during the year				40,100.00
5. Recognition Fee		6,96,000.00		
6. Investment in Fixed Assets		4,50,000.00		
7. Excess of Expenditure over Income As per last Balance Sheet				8,30,126.00
Addition during the year				5,26,574.00
8. Closing Balance as on 31-3-1994				13,56,700.00
Cash in hand	5,981.00			
Cash at Bank in C.A.C	1,31,462.00			
Cash at Bank in SB A.C	19,858.00	1,57,301.00		
<b>TOTAL</b>		<b>15,50,887.45</b>		<b>19,37,566.32</b>

**CENTRAL COUNCIL  
GENERAL PROVIDENT  
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS**

RECEIPTS	AMOUNT (RS.)
Opening Balance as on 1.4.93 in Saving Bank with Bank of India	49,348.00
Subscription by Employees	2,53,826.00
Recovery of Loan from Employees	91,160.00
<b>INTEREST</b>	
Earned from Bank on SB/Ac, Monthly Income Certificate, Special Deposit Scheme	88,092.28
Received from Council	<u>20,735.00</u>
Monthly Income Certificate matured	1,00,000.00
<b>TOTAL</b>	<u>6,03,161.28</u>

**OF INDIAN MEDICINE  
FUND  
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH 1994**

PAYMENTS	AMOUNT (RS.)
Loan granted to employees	1,67,950.00
Final Withdrawal to employees	20,000.00
Investment in Monthly Income Certificate	4,00,000.00
Closing Balance as on 31-3-94 in Saving Bank Account with Bank of India	15,211.28
<b>TOTAL</b>	<u>6,03,161.28</u>



CENTRAL COUNCIL  
GENERAL PROVIDENT  
BALANCE SHEET AS

1992-93	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT (RS.)
7,77,895.00	As per Last Balance Sheet	9,22,988.00	
<b>ADDITION DURING THE YEAR</b>			
1,56,879.00	Subscription	2,53,826.00	
85,562.00	Interest	1,08,827.28	
-----		-----	
10,20,336.00		12,85,641.28	
97,348.00	Less: Final Withdrawal	20,000.00	12,65,641.28
-----		-----	
9,22,988.00			
-----		-----	
	<b>TOTAL</b>		<b>12,65,641.28</b>
-----		-----	
9,22,988.00	<b>TOTAL</b>		<b>12,65,641.28</b>

OF INDIAN MEDICINE  
FUND  
ON 31ST MARCH 1994

1992-93	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT (RS.)
	1. Investment		
	a) Special Deposit Scheme		1,70,500.00
	As per last Balance Sheet		
1,70,500.00			
1,70,500.00			
	b) National Saving Certificate		75,000.00
	As per last Balance Sheet		
75,000.00			
75,000.00			
	c) Monthly Income Certificate		
	As per last Balance Sheet	5,35,000.00	
	Addition during the year	4,00,000.00	
4,10,000.00		9,35,000.00	
2,35,000.00			
6,45,000.00			
1,10,000.00			
5,35,000.00			
	Less: Redeemed		8,35,000.00
	2) Loan to Employees		
	As per last Balance Sheet	93,140.00	
95,800.00		1,67,950.00	
78,850.00		2,61,090.00	
1,74,650.00		91,160.00	
81,510.00			
93,140.00			
	Recovery during the year		1,69,930.00
	3) Closing Balance as on 31-3-94		
	in Saving Bank Account with		
	Bank of India		15,211.28
49,348.00			
49,348.00			
-----		-----	
9,22,988.00	<b>TOTAL</b>		<b>12,65,641.28</b>

CENTRAL COUNCIL  
PENSION-CUM-  
BALANCE AS

1992-93	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT (RS.)
5,68,879.02	As per Last Balance Sheet	5,53,336.64	
	<b>ADDITION DURING THE YEAR</b>		
56,911.00	Contribution	1,22,761.00	
89,889.62	Interest	60,366.06	
7,15,679.64		7,36,463.70	
1,62,343.00	Less: Redeemed during the year	35,151.00	7,01,312.70
5,53,336.64			
----- 5,53,336.64			----- 7,01,312.70

OF INDIAN MEDICINE  
GRATUITY FUND  
ON 31ST MARCH 1994

1992-93	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT (RS.)
4,42,000.00	1. Investment As per Last Balance Sheet	5,35,000.00	
1,47,000.00	Less: Redeemed during the year	2,70,000.00	
2,95,000.00		2,65,000.00	
2,40,000.00	Addition during the year	4,00,000.00	6,65,000.00
18,336.64	Closing Balance as on 31-3-1994 in Saving Bank Account with Bank of India		36,312.70
----- 3,53,336.64			----- 7,01,312.70